कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(बडी चौपड हवामहल के पीछे पुराना पुलिस मुख्यालय जयपुर – 01)

क्रमांक :सचिव/ननिज/ 2021/05—07 दिनांक : 18/02/21

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
3. उपनिदेशक (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

विषयः– नगर निगम जयपुर हैरिटेज की साधारण सभा प्रथम बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 09.02.2021 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस पत्र के साथ नगर निगम जयपुर हैरिटेज की साधारण सभा की बैठक दिनांक 09.02.2021 का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(लोक बन्धु)
आयुक्त एवं सचिव
साधारण सभा
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि :– कार्यवाही विवरण की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ। 08—26 दि० 18/2/21

1. निजी सहायक, महापौर महोदय, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज।
2. निजी सहायक, संबंधित विधायक/सांसद महोदय, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज।
3. निजी सहायक, उपमहापौर महोदय, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज।
4. श्री/सुश्री/श्रीमति ..... पार्षद वार्ड नं ..... नगर निगम, जयपुर हैरिटेज।
5. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज।
6. वित्तीय सलाहकार, प्रस्ताव संख्या 01 एवं प्रस्ताव सं 03
7. उपायुक्त मुख्यालय, प्रस्ताव सं 16
8. उपायुक्त राजस्व प्रथम, प्रस्ताव सं 08
9. उपायुक्त कार्मिक, प्रस्ताव सं 04 एवं प्रस्ताव सं 20
10. उपायुक्त स्वास्थ्य, प्रस्ताव सं 05, 07, 11 एवं 21
11. उपायुक्त हवामहल–आमेर जोन, प्रस्ताव सं0 14
12. उपायुक्त लैण्ड बैंक, प्रस्ताव सं 15
13. उपायुक्त विद्युत, प्रस्ताव सं 06
14. उपायुक्त पशु–प्रबंधन, प्रस्ताव सं 17 एवं प्रस्ताव सं 18
15. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रस्ताव सं0 09 एवं प्रस्ताव सं 13
16. अधिशाषी अभियन्ता–मुख्यालय, प्रस्ताव सं0 10 एवं प्रस्ताव सं 19
17. अधिशाषी अभियन्ता सीवर प्रोजेक्ट, प्रस्ताव सं0 12
18. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, प्रस्ताव सं 02
19. सुरक्षित पत्रावली ज०नि० ज० हैरिटेज।

सचिव
साधारण सभा
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(पुराना पुलिस मुख्यालय, बडी चौपड, हवामहल के पीछे)

नगर निगम, जयपुर हैरिटेज की साधारण सभा (प्रथम बोर्ड) की बैठक का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 09.02.2021 को नगर निगम जयपुर हैरिटेज की साधारण सभा (प्रथम बोर्ड) की प्रथम बैठक माननीया महापौर श्रीमती मुनेश गुर्जर की अध्यक्षता में प्रातः 11.00 बजे नगर निगम, ग्रेटर जयपुर के सभासद भवन, लालकोठी मुख्यालय में आयोजित हुई। जिसमें निम्न सदस्यगण/विधायकगण उपस्थित हुए:-

वार्ड नं.	पार्षद का नाम
1	श्री हनुमान गुर्जर
2	श्रीमती अंजलि ब्रह्मभट्ट
3	श्री पूरण मल सैनी
4	श्रीमती बरखा देवी
5	श्री अब्दुल वहीद खान
6	श्री जाहिद अली
7	श्रीमती शबनम खान
8	श्री राजेश महावर
9	श्री रजत विश्नोई
10	श्रीमती बबीता तंवर
11	श्री भूपेन्द्र कुमार मीणा
12	श्री मौजम बानो
13.	श्री सुरेश सैनी
14	श्री नंदकिशोर सैनी
15	मो. ऐहसान
16	श्री कृष्णा शर्मा
17	श्री शिव कुमार सोनी
18	श्री सोनल जांगिड

19	श्री अफजल महबूब
20	श्री राम कृष्ण शर्मा
21	श्रीमती अनिता जैन
22	श्री विमल अग्रवाल
23	श्रीमती जाहिदा बानो
24	श्री माणक चन्द शर्मा
25	श्री विक्रम सिंह
26	श्री सलमान मंसूरी
27	श्रीमती भगवती
28	श्रीमती सना खान
29	श्री मोहम्मद असलम फारूकी (उपमहापौर)
30	श्रीमती जमीला बेगम
31	श्री अजरूद्दीन
32	श्री विजेन्द्र तिवाड़ी
33	श्री उमेश शर्मा
34	श्री सुभाष व्यास
35	श्री मनोज मुद्गल
36	श्री मंजू शर्मा
37	श्री रविप्रकाश सैनी
38	श्री हेमन्त शर्मा
39	श्री हरमेंन्द्र खोवाल
40	श्रीमती रश्मि गुजराती
41	श्री आरिफ खान
42	श्री दशरथ सिंह
43	श्रीमती मुनेश गुर्जर (महापौर)
44	श्रीमती सुनीता शेखावत

45	श्री धीरज शर्मा
46	श्रीमती ज्योति चौहान
47	श्रीमती रेखा राठौड़
48	श्री राजेश कुमावत
49	श्री उत्तम शर्मा
50	श्री पवन कुमार शर्मा
51	श्री राहुल शर्मा
52	श्रीमती पूनम शर्मा
53	श्रीमती कमलेश कंवर
54	श्रीमती अंशु शर्मा
55	श्री जितेन्द्र कुमार लखवानी
56	श्रीमती रेशमा बेगम कुरेशी
57	श्री महेन्द्र कुमार ढलेत
58	श्री मनीष पारीक
59	श्रीमती कपिला कुमावत
60	श्री मो. फारूक
61	श्रीमती आयशा सिद्दिकी
62	श्री रोहित कुमार चांवरिया
63	श्रीमती सुशीला देवी
64	श्रीमती नरसीन बानों
65	श्री मो. जकारिया
66	श्री महेश चन्द सोयल
67	श्री मो. अयूब
68	श्रीमती नसीम बानो
69	श्री मो. फरीद कुरेशी
70	श्री गिर्राज नाहटा

71	श्री अरविन्द मेठी
72	श्रीमती ललिता जायसवाल
73	श्री अमर सिंह गुर्जर
74	श्रीमती कुसुम यादव
75	श्री मो. शोएब
76	मो. सोहेल मंसूरी
77	श्री सुरेश नांवरिया
78	श्रीमती संतोष
79	श्रीमती राबिया गुडएज
80	श्री पारस जैन
81	श्रीमती असमा
82	श्रीमती सावित्री
83	श्री फिरोज खान
84	श्री नरेश कुमार
85	श्रीमती सुनीता मावर
86	श्री उमरदराज
87	श्री मो. शफीक
88	श्री रईश कुरेशी
89	श्री अकबरद्दीन
90	श्री सुनील दत्ता शर्मा
91	श्री श्याम सुंदर सैनी
92	श्रीमती रितु मोतियानी
93	श्री नीरज अग्रवाल
94	श्री घनश्याम चन्दलानी
95	श्री महेश कुमार कलवानी
96	श्री महेन्द्र कुमार पहाड़िया

97	श्री माया देवी
98	श्री प्रकाश चन्द शर्मा
99	श्रीमती माया नैनीवाल
100	श्री पुष्पेन्द्र मीणा
माननीय विधायक का नाम	
1	डॉ. श्री महेश जोशी
2	श्री अमीन कागजी

सर्वप्रथम महापौर महोदया एवं पार्षदगणों द्वारा राष्ट्र गान गाया गया। इसके बाद महापौर महोदया द्वारा शोक संदेश पढ़ा गया जो कि निम्नानुसार है :– मुझे सदन को यह सूचना देते हुए दुःख है कि (1) श्री प्रणब मुखर्जी माननीय पूर्व राष्ट्रपति (2) डॉ. अश्विनी कुमार माननीय पूर्व राज्यपाल नागालैण्ड (3) श्री लालजी टंडन माननीय पूर्व राज्यपाल, मध्यप्रदेश (4) श्री वेद मारवाह माननीय पूर्व राज्यपाल (5) श्री हंसराज भारद्वाज माननीय पूर्व राज्यपाल कर्नाटक एवं केरल (6) श्रीमती मृदुला सिन्हा माननीय पूर्व राज्यपाल गोवा (7) श्री बूटा सिंह माननीय पूर्व राज्यपाल बिहार एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री (8) श्री अजीत जोगी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ (9) श्री कैलाश जोशी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश (10) श्री केशुभाई पटेल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात (11) श्री जगन्नाथ मिश्र माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार (12) डॉ. डोनकुपर रॉय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मेंघालय (13) श्री मोतीलाल वोरा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री मध्यप्रदेश (14) श्री सतीश प्रसाद सिंह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार (15) श्री तरूण गोगाई माननीय पूर्व मुख्यमंत्री असम (16) श्री माधव सिंह सोंलकी माननीय मुख्यमंत्री गुजरात (17) श्री बाबूलाल गौर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश (18) श्री मनोहर पर्रिकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गोवा (19) श्री शिवाजीराव पाटिल निलांगेकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री (20) श्रीमती शिला दीक्षित माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली (21) श्रीमती सैयदा अनवरा तैमूर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री असम (22) श्रीमती सुषमा स्वराज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली (23) श्री जसवंत सिंह माननीय पूर्व सांसद (24) श्री राधाकृष्ण बिरला माननीय पूर्व सांसद (25) श्री राम जेठमलानी माननीय पूर्व सांसद (26) डॉ. हरिसिंह माननीय पूर्व सांसद (27) श्री हरिओम सिंह राठौड माननीय पूर्व सांसद लोक सभा

(28) श्री पृथ्वीराज माननीय पूर्व सांसद दौसा (29) श्री शिवचरण सिंह धावई माननीय पूर्व सांसद करौली (30) श्री महावीर भगोरा माननीय पूर्व सांसद (31) श्री मदन लाल सैनी पूर्व सांसद राज्य सभा (32) श्री कुन्दनलाल मिगलानी माननीय पूर्व राज्य मंत्री (33) श्रीमती जकिया माननीय पूर्व मंत्री (34) श्री दिग्विजय सिंह, माननीय पूर्व मंत्री (35) श्री रतन लाल ताम्बी माननीय पूर्व राज्य मंत्री (36) श्री कमल मोरारका माननीय पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं पूर्व राज्य सभा सदस्य (37) श्री मास्टर भंवरलाल मेंघवाल माननीय केबिनेट मंत्री एवं विधायक सुजानगढ़ (38) श्री कुंजीलाल मीणा माननीय पूर्व विधायक (39) श्री ईश्वर लाल सैनी पूर्व सदस्य (40) श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी सदस्य (41) श्री गणेशी राम मेंघवाल पूर्व सदस्य (42) श्री गुलाब सिंह पूर्व सदस्य (43) श्री गोवर्धन कल्ला पूर्व सदस्य (44) श्री जीथिंग पूर्व सदस्य (45) श्री झावरमल सूण्डा पूर्व सदस्य (46)श्री तेजपाल यादव पूर्व सदस्य (47) श्री नूरा पूर्व सदस्य (48) श्री पृथ्वी सिंह पूर्व सदस्य (49) श्री फूलचन्द मीणा (50) श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा पूर्व सदस्य (51) श्री बजरंग लाल शर्मा (52) श्री भंवरलाल शर्मा पूर्व सदस्य (53) श्री मुकुट विहारी लाल गोयल पूर्व सदस्य (54) श्री माधोसिंह कछवाह पूर्व सदस्य (55) श्री रतनाराम चौधरी पूर्व सदस्य (56) श्री रामेंश्वर प्रसाद गुर्जर पूर्व सदस्य (57) श्री रामेंश्वर भारद्वाज पूर्व सदस्य (58) श्री लक्ष्मी चन्द (59) श्री लालूदास पूर्व सदस्य (60) श्री शिवकिशोर सनाढ्य पूर्व सदस्य (61) श्री शिव सिंह पूर्व सदस्य (62) श्री हजारीमल सारण पूर्व सदस्य (63) श्री हनुमान सहाय व्यास पूर्व सदस्य (64) श्री हीरालाल मीणा पूर्व सदस्य (65) श्रीमती किरण माहैश्वर विधायक राजसमन्द (66) श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत विधायक वल्लभनगर (67) श्री मानिक चन्द सुराणा पूर्व विधायक (68) श्री ललित भाटी पूर्व विधायक (69) श्री हेमेन्द्र यादव पूर्व विधायक (70) श्री भाणजी भाई पूर्व विधायक (71) श्री जगमोहन सिंह पूर्व विधायक (72) श्री हीरालाल पूर्व विधायक (73) श्री महावीर जीनगर पूर्व विधायक (74) श्री देवेन्द्र सिंह पूर्व उपाध्यक्ष (75) श्री सत्यनारायण जी धामाणी पूर्व पार्षद (76) श्री रामकिशोर जी पूर्व पार्षद (77) श्रीमती रूकसाना मंसूरी पूर्व पार्षद (78) श्री अर्जुन प्रजापति पद्म श्री विश्वविख्यात मूर्तिकार (79) लद्दाख के गलवान सैक्टर में शहीद हुए भारतीय सैनिक (80) कोटा जिले के खातोली क्षेत्र के गोठडा ग्राम के पास चम्बल नदी हादस के मृतक (81) कोटा–दौसा मेगा स्टेट हाईवे पर लाखेरी के निकट मिनी बस के नदी में गिरने से हुई दुर्घटना के मृतक (82) दिनांक 16 जनवरी 2021 को जालौर के महेशपुरा गांव में बिजली के हाईटेंशन तारों की चपेट में आने से बस में लगी आग के हादसे के मृतको (83) दिनांक 19 जनवरी 2021 को

सूरत के किम–मांडवी रोड पर दर्दनाक सडक हादस में राजस्थान प्रदेश के मृतक मजदूरो (84) चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की हुई घटना में मृत हुए लोगों को, हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उन सभी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट के लिए अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर मौन धारण करें।

"ओम शांति"

इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई।

10 मिनट के बाद सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गई, तत्पश्चात् महापौर महोदया द्वारा प्रस्ताव सं. 01 को पढने हेतु कहा गया। जिस पर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा प्रस्ताव को पढ़ा गया :–

प्रस्ताव सं. 01

नगर निगम, जयपुर हैरिटेज के वित्तीय वर्ष 2020–21 का संशोधित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 का बजट अनुमोदन एवं स्वीकृति बाबत।

महापौर महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि सभी सदस्यगणों को बजट अभिभाषण की बुकलेट वितरित की जावे। इस पर सभी सदस्यगणो को बजट अभिभाषण की बुकलेट उपलब्ध करवायी गई।

महापौर महोदया द्वारा बजट अभिभाषण वर्ष 2020–21 के प्रथम पृष्ठ व द्वितीय पृष्ठ को पढ़ा गया।

आपसी वार्तालाप.....के बाद आगे का बजट अभिभाषण पढ़ने हेतु सचिव को आदेशित किया गया तत्पश्चात् सचिव द्वारा वर्ष 2020–21 का बजट अभिभाषण एवं आय व्यय के अनुमान को सदन में पढा गया जो कि बजट अभिभाषण के पृष्ठ सं 01 से 20 तक संलग्न है एवं बजट वर्ष 2020–21 व वर्ष 2021–22 के कुल पृष्ठ सं. 21 से 33 तक संलग्न है।

7

बजट अभिभाषण
वर्ष 2021–2022

ऐक्यं बलं समाजस्य तदभावे स दुर्बलः ।
अर्थातः एकता समाज की शक्ति है, और इसके बिना हम दुर्बल हैं।

इस भावना से प्रेरित होकर आप सभी के सहयोग से जनकल्याण की प्रतिबद्धता के साथ मैं, माननीय सांसद, सम्माननीय विधायकगण, उपमहापौर महोदय, पार्षदगण, निगम के अधिकारियों, मीडिया के साथियों एवं शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का नगर निगम जयपुर हैरिटेज के प्रथम बोर्ड की इस पहली साधारण सभा में स्वागत और अभिनन्दन करती हूं।

जैसा कि आप सभी को विदित है कि जयपुर के हैरिटेज परकोटे को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट को सूची में सम्मिलित किया गया है, यहां कई धरोहरें विश्व में पहचान रखती हैं। हवामहल, अल्बर्ट हॉल, जंतर–मंतर से लेकर जयपुरी ज्वैलरी, रत्न मंडी का अलग ही महत्व है। जयपुर की परम्पराएं भी विश्व में अनोखी हैं। ऐसे में इन हैरिटेज धरोहरों, कलाओं व परम्पराओं को संजोय रखना हम सभी का कर्तव्य है। नगर निगम जयपुर हैरिटेज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इसकी छवि को वैश्विक पटल पर उभारने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। हैरिटेज का संरक्षण करने के लिए पृथक बायलॉज की पालना के साथ–साथ शहर का विकास करना हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे।

हम शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु परकोटा क्षेत्र के बरामदों, प्रमुख देवालयों, दर्शनस्थलों एवं पार्कों का विकास करेंगे। क्षेत्र के लोगों को एलईडी स्ट्रीट लाइट युक्त गुणवत्तापूर्ण सड़कें, स्वच्छ पेयजल से लेकर ओपन जिम तक की पहुंच हम सुनिश्चित करेंगे। परकोटे में अंडरग्राउंड केबलिंग के साथ तालकटोरा के जीणोद्धार के कार्य के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र को कचरे से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से मैं यह सुनिश्चित करती हूं कि घर–घर कचरा संग्रहण संपूर्ण क्षेत्र में किया जाएगा, नगर निगम जयपुर हैरिटेज इसके लिए उचित संख्या में हूपर और ऑटो टिपर उपलब्ध करवाएगा। इसी के साथ ही रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु हम प्रमुख सड़कों के किनारे, तिराहे और चौराहों पर आवश्यकतानुसार मिल्क डेयरी बूथ का आवंटन करेंगे।

चारदिवारी में सिवरेज की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम जयपुर हैरिटेज में हमारा बोर्ड बनने के बाद हमने 5 करोड़ 20 लाख की 20 छोटी जेटिंग मशीन खरीदी है। इसमें जेटिंग, रॉडिंग, ग्रेबिंग व बकट सिस्टम है जो अभी एसेम्बल हो रही है।

राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पिछली सरकार के समय चलाये गए प्रशासन शहरों के संग अभियान की तर्ज पर इस वर्ष "निगम क्षेत्र में प्रशासन शहरों के संग अभियान –2021" चलाने की मैं घोषणा करती हूं।

मुख्यमंत्री जी की संकल्पना "कोई भी भूखा ना सोए" को साकार करने के लिए शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना का लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचे, इसको लेकर नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्य करेगा।

नगर निगम, जयपुर हैरिटेज के प्रथम बोर्ड की इस पहली बैठक मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगी कि इससे पहले तक नगर निगम, जयपुर एक ही निकाय था। आदरणीय मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक गहलोत ने शहर के सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए इसे दो हिस्सों में विभाजित किया। हमारे नगर निगम जयपुर हैरिटेज को नगर निगम ग्रेटर जयपुर की तुलना में संसाधन कम उपलब्ध हुए हैं। अधिकारियों–कर्मचारियों की संख्या भी कम है। सीमित संसाधनों में नगर निगम क्षेत्र का विकास करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। मगर हम अर्थशास्त्र के महान सिद्धांत 'optimum utilization of resources' पर चलते हुए इन सीमित संसाधनों से बेहतर कार्य कर देशभर में एक मिसाल पेश करेंगे। हम लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु की भावना के साथ धर्म और जाति से परे शहर के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को विकास में भागीदार बनाएंगे। साथ ही प्रतिवर्ष सकारात्मक रिपोर्ट लेकर जनता के बीच जाएंगे। मैं ये आश्वस्त करती हूं कि शहर की जनता इस बोर्ड के कार्यकाल को सदैव याद रखेगी।

'मंजिले उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है,
सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है।'

नए बजट को इस सभा और जनता के सामने रखने से पहले जरूरी था कि पुराने बजट का अध्यन करना।

नगर निगम जयपुर हैरिटेज के गठन होने पर वित्तीय दायित्व के विभाजन के समय हेरिटेज को 100 करोड़ रुपए का वित्तीय दायित्व प्राप्त हुआ था, इसके अतिरिक्त कोविड–19 के कारण भी नगर निगम जयपुर हैरिटेज की राजस्व आय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके बावजूद में सदन को विश्वास दिलाती हूं कि हम शहर के विकास कार्यों में धन की कमी नहीं आने देंगे।

मैं चालू वित्तीय वर्ष के लिए 726 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान सदन के समक्ष रखती हूं। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल 784 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं ।

नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, वहीं पुरानी सड़कों एवं नालियों की मरम्मत के लिए 28 करोड़ रुपये, अन्य निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपए, शमशान –कब्रिस्तान के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए, विद्युत लाइन की वृद्धि हेतु 10 करोड़ रुपये और उद्यान वृक्षारोपण वृद्धि के लिए 22 करोड़ का प्रावधान है।

नगर निगम जयपुर हैरिटेज में सीवरेज एक बड़ी समस्या है ऐसे में 25 करोड़ रुपए का बजट सीवरेज हेतु एवं स्वच्छ भारत मिशन हेतु 15 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

महिलाओं और युवतियां की सुरक्षा हेतु हेरिटेज नगर निगम प्रतिबद्ध है, ऐसे में कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने एवं व्यापक मॉनिटरिंग करने हेतु 20 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान रखा गया है।

शहर के विकास में किसी भी प्रकार का वित्तीय व्यवधान ना आये इसके लिए नगर निगम जयपुर हैरिटेज हुडको से 500 करोड़ रुपए का लोन लेगा। इस राशि से नई सड़कों का निर्माण, नालों का कवर, सीवरेज लाइन का विस्तार एवं मरम्मत, विद्युत लाइनों में वृद्धि, उद्यान तथा कच्ची बस्तियों के विकास एवं पर्यटन स्थलों के जीणोद्धार कार्य को करवाया जाएगा। मैं पुनः सदन को विश्वास दिलाती हूं कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज में राज्य सरकार के सहयोग एवं सहायता से विकास कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।

कोरोना प्रबंधन

बेहतरीन प्रबंधन से कोरोना पर जीत की और बढते कदम :–

वैश्विक महामारी कोविड–19 से पूरे विश्व के साथ जयपुर शहर भी प्रभावित हुआ। कोविड–19 के संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए शहर के प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, सब्जी मण्डियों एवं घरों को निगम की फायर ब्रिगेडों, स्वास्थ्य शाखा के कार्मिकों एवं सिविल डिफेन्स के वॉलिन्टिर्स की सहायता से सेनेटाईजेशन करवाया गया। कुल 1 लाख 46 हजार लीटर सोडियम हाईपोक्लाराईट का छिड़काव अब तक किया जा चुका है। हमारे बेहतरीन प्रबन्धन की बदौलत आज शहर कोविड–19 पर जीत की ओर अग्रसर है।

लॉकडाउन के दौरान हर वर्ग का रखा ख्याल :–

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ 58 लाख 60 हजार 401 तैयार भोजन के पैकिट असहाय/निराश्रित एवं जरूरतमन्द लोगों तक पहुंचाये गये। इस दौरान 4 लाख 68 हजार 694 सूखे राशन के पैकेट जरूरतमन्द/निराश्रित परिवारों तक पहुंचाये गये।

मनुष्य के साथ पशु–पक्षियों का भी रखा ख्याल :–

लॉकडाउन के दौरान न केवल मनुष्यों बल्कि पशु–पक्षियों का भी निगम ने ख्याल रखा। इस दौरान पशुओं के लिए 84 लाख 41 हजार 742 किलो चारा उपलब्ध करवाया गया। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, भामाशाहों तथा निगम के सहयोग से पक्षियों के लिए 80 हजार 980 किलों दाने की व्यवस्था की गई। निगम के उद्यानों एवं अन्य स्थानों पर पानी की टंकियां रखवाकर एवं उन्हें रोज भरवाने की व्यवस्था कर बेजुबानों के लिये पानी की व्यवस्था की गई।

4 हजार 51 स्ट्रीट वेन्डरों को उपलब्ध करवायी सहायता राशि :–

लॉकडाउन के दौरान स्ट्रीट वेन्डरों को आजीविका के संकट से बचाने के लिये सामाजिक सहायता के तहत 3500 रूपये प्रति परिवार के हिसाब से 4 हजार 51 स्ट्रीट वेन्डरों को सहायता राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रावधानों के अंतर्गत श्रेणी 3 एवं 4 के तहत पात्र परिवारों को 3500 रूपये प्रति परिवार के हिसाब से सहायता उपलब्ध करवायी गई।

शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपने दायित्वों का निवर्हन करने वाले कोरोना वारियर्स सभी फायर कार्मिक व सफाई कार्मिकों को 1–1 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। फ्रंन्ट लाईन वकर्स को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिये पीपीई किट, दस्ताने तथा सैनेटाईजर उपलब्ध करवाया गया।

कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन :–

आमजन में कोरोना संक्रमण से बचने के लिये जागरूकता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू किये गये कोरोना के विरूद्ध जनआन्दोलन के तहत नगर निगम द्वारा 3 लाख 60 हजार 026 मास्क आमजन को निःशुल्क वितरित किये गये है। मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं का संदेश लिखे स्टीकरों को नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र के सभी आवासों/भवनों पर लगवाया गया। जनजागरूकता के लिये प्रत्येक जोन में नुक्कड़ नाटक रथ संचालित किये गये। लाउडस्पीकर लगे ऑटोरिक्शा तथा निगम के हूपरों के माध्यम से कोरोना जागरूकता

का संदेश प्रसारित करवाया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं, एन.एस.एस., एन.सी.सी., जयपुर/यातायात पुलिस, एफ.एम. चैनलों आदि के साथ मिलकर कोरोना जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाये गये। आमजन में जागरूकता के लिये निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। समझाईश के बावजूद कोविड गाइड लाईन्स का उल्लंघन करने पर नगर निगम क्षेत्र में 7 लाख 70 हजार 850 रूपये के चालान किये गये।

इन्दिरा रसोई योजना

राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजना में "कोई भी भूखा ना सोये" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुये जयपुर शहर में "इन्दिरा रसोई योजना" का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2020 को नगर निगम जयपुर हैरिटेज के 10 स्थानों पर किया गया। जो कि निम्नानुसार है। :--

1. ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे
2. वन विहार ईदगाह दिल्ली रोड़
3. रैन बसेरा, बड़ोदिया बस्ती
4. सिंधी कैम्प, बस स्टैण्ड
5. कांवटिया अस्पताल के बाहर
7. जनाना हॉस्पिटल, चांदपोल
8. सामुदायिक केन्द्र 17 नं, भट्टा बस्ती
9. गणगौरी हॉस्पिटल
10. सामुदायिक केन्द्र राजामल तालाब

"इन्दिरा रसोई योजना" के अन्तर्गत लाभार्थी को 08/– रुपये प्रति लाभार्थी की दर पर बैठाकर भोजन खिलाया जा रहा एवं राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपये अनुदान के रुप में संचालक संस्था को भुगतान किया जा रहा है।

रसोई संचालन के प्रथम वर्ष में नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में प्रत्येक रसोई में 300 थाली लंच व 300 थाली डिनर प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

योजनान्तर्गत भोजन में चपाती, दाल, सब्जी एवं आचार सम्मिलित कर स्थानीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मैन्यू में परिवर्तन किया जा रहा है। भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार दिया जा रहा है।

श्मशानों एवं शौचालयों का संधारण

नगर निगम जयपुर हैरिटेज के मुख्यालय खण्ड द्वारा निगम क्षेत्र में स्थित श्मशान/कब्रिस्तान, सार्वजनिक शौचालय तथा सामुदायिक शौचालयों का संधारण एवं विविध कार्य समय–समय पर करवाये जाते है।

नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक मूत्रालय सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन के माध्यम से संचालित/संधारित किये जाते है।

स्वास्थ्य शाखा

स्वच्छ सर्वेक्षण – 2020

स्वच्छ सर्वेक्षण–2020 में देश के लगभग 4204 शहरों मे जयपुर को 28वां स्थान प्राप्त होना एवं गौरवमयी उपलब्धी रही है। जयपुर के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों तथा टीम जयपुर के सामूहिक प्रयास साकार हुए। हम आगे भी शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल लाने के प्रयास निरंतर जारी रखेंगे और निश्चित रुप से बेहत्तर प्रदर्शन करेंगें।

सफाई व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने हेतु रात्रि में बाजारों में मैकेनाईज्ड रोड स्वीपिंग कार्य शुरू किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण–2020 के तहत् भारत सरकार के शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय द्वारा देश की सबसे प्रतिष्ठित सर्वे एजेन्सी QCI (क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया) के माध्यम से ODF सर्वे करवाया गया। सर्वे एजेन्सी से कराये गये विस्तृत सर्वे अनुसार जयपुर शहर को स्वच्छता के सर्वोच्च दर्जे ODF से नवाजे जाने की अभिशंषा की है, यह दर्जा जयपुर शहर में सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के बेहतर निर्माण, उपलब्धता एवं रख–रखाव पर दिया जाता है।

जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था

नगर निगम हैरिटेज, जयपुर के 3722 सफाई कर्मचारियों को 04 जोनो मे लगाया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	जोन का नाम	कुल वार्ड संख्या	जोन वाईज स्थाई कर्मचारियो की संख्या
1	हवामहल आमेर	30	929
2	सिविल लाईन	24	864
3	किशनपोल	21	1085
4	आदर्श नगर	25	844
कुल योग		**100**	**3722**

1. नगर निगम जयपुर हैरिटेज मे सफाई कर्मचारियों से वार्डो मे नियमित झाड़ू लगवाई जाती है।
2. जिन वार्डो में 2 फीट से छोटी नालियॉ है, उनकी भी नियमित सफाई करवाई जाती है।
3. सफाई कर्मचारियों द्वारा सडक पर झाड़ू लगाने व छोटी नालियों की सफाई के पश्चात् एकत्रित कचरे को नजदीक के कचरा डिपों तक हाथगाडियों के माध्यम से पहुॅचाया जाता है।
4. कचरा डिपों पर एकत्रित कचरें को बीवीजी तथा नगर निगम के संसाधनों के माध्यम से एकत्रित कर कचरागाह (डम्पिंगयार्ड) तक पहुॅचाया जाता है।

अग्निशमन सेवा का सुदृढ़ीकरण

जयपुर शहर में समस्त अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा व बचाव कार्य हेतु नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में वर्तमान में 3 फायर स्टेशन संचालित है। एक अग्निशमन केन्द्र निर्माणाधीन है।

अग्निशमन शाखा में अधिकारियों के लिये 6 मौका निरीक्षण वाहन टी.यू.वी क्रय किये गये थे। वर्तमान में नगर निगम जयपुर हैरिटेज में 2 मौका निरीक्षण वाहन टी.यू.वी. उपलब्ध है।

जयपुर शहर में कोविड 19 के कारण जिन निजी व सरकारी होस्पिटलों को कोविड सेन्टर बनाया गया। वहॉ के स्टॉफ को अग्निशमन यन्त्रों को चलाने व आग से बचाव हेतु प्राथमिक जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।

अग्नि सुरक्षा हेतु जयपुर शहर में अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों,, एन.सी.सी. स्कूल, कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव हेतु प्राथमिक जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।

10 चैचिसों पर मल्टी परपज फायर टैण्डर तैयार करवाये गये। जिनमें से 4 नगर निगम जयपुर हैरिटेज को प्राप्त हुए है।

फायर सेवा का विस्तार करते हुए फायर एनओसी ऑनलाईन जारी करने की व्यवस्था की गई है। निगम द्वारा ऑनलाईन फायर एनओसी जारी की जा रही है।

कार्मिक शाखा का सुदृढ़ीकरण

नगर निगम जयपुर हैरिटेज में कार्य निर्वहन हेतु अधिकारी/अधीनस्थ मंत्रालयिक व चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त लगभग 3722 सफाई कर्मचारी कार्यरत है। वर्ष 2018 में नियुक्त सफाई कर्मचारियों का 2 वर्ष का परवीक्षा काल पूर्ण होने पर स्थाईकरण की कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम जयपुर हैरिटेज मे अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच कर मृतक आश्रितों की सफाई कर्मचारी/अन्य पद पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। सेवा निवृत कर्मचारियों को सेवानिवृती पर पेंशन के लाभ के साथ ग्रेच्युटी, बकाया उपार्जित अवकाश का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2020 में नगर निगम जयपुर हैरिटेज के अनैक संवर्गो की डी.पी.सी. कर पदोन्नती का लाभ दिया गया है।

प्रोजेक्ट शाखा

सीवरेज शोधन क्षमता में होगा इजाफा 90 एमएलडी के देहलावास सीवरेज ट्रीटमेन्ट का प्लांट कार्य प्रगति पर :– राज्य सरकार की वर्ष 2019–20 की बजट घोषणा के अनुरूप देहलावास में 90 एमएलडी क्षमता के नये सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी) का कार्य प्रगति पर है। यहां पहले से चल रहे 62.5–62.5 क्षमता के 2 एसटीपी के अपग्रेडेशन का कार्य भी प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने पर देहलावास प्रोजेक्ट की क्षमता 215 एमएलडी हो जायेगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 278.78 करोड़ रूपये है। नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा किये गये सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के बेहतर प्रबंधन को ध्यान में रखते हुये यूनीडो द्वारा देहलावास प्रोजेक्ट के लिये 10 करोड़ 45 लाख रूपये का अनुदान भी दिया गया है।

सी.एण्ड.डी. वेस्ट रिसाईकिल के लिए 300 टीडीपी का प्लान्ट बनेगा :– जयपुर शहर के मकानों/अन्य भवनों के विध्वंस से उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे के रिसाईकल के लिए 300 टन प्रतिदिन क्षमता के सी.एण्ड.डी. वेस्ट रिसाईकल प्लान्ट को स्थापित किये जाने की प्रक्रिया जारी है। प्लान्ट की स्थापना के लिए फर्म से अनुबन्ध किया जा चुका है। उक्त प्लान्ट के पूर्ण होने पर अगले 20 वर्षों तक सी.एण्ड.डी. वेस्ट के निस्तारण की समस्या का समाधान होगा।

कचरे से बिजली बनाने के लिये 12 मेगावाट का प्लान्ट बनेगा :– जयपुर शहर में ठोस कचरे से बिजली बनाने के लिये 12 मेगावाट का प्लान्ट लांगडियावास में बनेगा। फर्म को 20 हैक्टेयर भूमि का आंवटन किया जा चुका है तथा लीज–डीड संपादन प्रक्रियाधीन है।

आर.डी.एफ प्लांट लांगडियावास :– नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा जयपुर शहर में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम की अनुपालना के तहत सूखे कचरे से आर.डी.एफ बनाने का कार्य मैसर्स मैसर्स अल्ट्रा टेक लि. द्वारा किया जा रहा है। उक्त प्लांट पर 350 टन कचरे का प्रसंसकरण कर आर.डी.एफ बनाया जाता है।

मेटेरियल रिकवरी फेसिलिटी :– प्लास्टिक वेस्ट को रिसाईकिल करने के लिये मथुरादासपुरा स्थित कचरागाह पर मेटेरियल रिकवरी फेसिलिटी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त प्लान्ट पर प्लास्टिक एवं अन्य वेस्ट को रिसाईकिल किया जायेगा।

गैराज शाखा

आमजन को त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सीवर शिकायतों के निस्तारण एवं निगम के विविध कार्यो के यांत्रिकीकरण के दृष्टिगत निम्न मशीनों/संसाधनों का क्रय किया गया:–

क्र.सं.	वाहन प्रकार	वर्ष	संख्या	प्रति नग राशि रू (लाखों में)	कुल लागत (करोड में)
1.	सीवर सक्शन मशीन	2019	01	16.50	0.16
2.	सीवर जेटिंग मशीन 1500 लीटर क्षमता	2019	02	14.60	0.29
3.	सीवर जेटिंग मय सक्शन मशीन	2019	01	26.56	0.27
4.	डम्पर	2019	03	18.78	0.56
5.	इलेक्ट्रिक होइस्ट	2020	02	20.80	0.42
6.	ऑटो हॉपर (3 व्हीलर)	2020	29	4.60	1.33
7.	ऑटो हॉपर (4 व्हीलर)	2020	29	5.70	1.65
8.	रिफ्यूज कॉम्पेक्टर (आरसी)	2020	13	36.46	4.74
कुल योग			80		9.42

सीवर की जटिल समस्यो के निस्तारण हेतु नगर निगम जयपुर हैरिटेज में एक सुपर सकर मशीन कार्यरत है। विभिन्न वार्ड/जोन से नियमित मिट्टी मलबा परिवहन के साथ सेवापुरा तथा मथुरादासपुरा कचरागाहों पर कचरे की लेवलिंग कर मिट्टी से कवर कराया गया है।

विशेष सफाई अभियानो, स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान सफाई व अन्य कार्यो हेतु मशीन व संसाधन की यथोचित व्यवस्था की गई है।

आधुनिक संसाधनों से सुदृढ़ीकरण की ओर बढ़ती गैराज शाखा

वर्ष 2021–22 प्रस्तावित कार्य

सीवर सफाई को अधिक यांत्रिकीकरण करने के दृष्टिगत 20 नग थ्री–ईन–वन (जेटिंग, ग्रेबिंग, रोडिंग) के क्रय की पत्रावली स्वीकृति हेतु निदेशालय में प्रेषित है। इसके साथ ही 02 नग सुपर सकर व 06 नग जेटिंग व ग्रेबिंग मशीन क्रय करने की निविदा भी प्रक्रियाधीन है।

शहर के विस्तारीकरण के कारण संसाधनों के कार्यस्थल पर त्वरित उपलब्धता एवं प्रत्येक जोन के पृथक गैराज के दृष्टिगत पूर्व में कार्यरत 03 निगम गैराजों के अतिरिक्त 01 नवीन गैराज की स्थापना की जानी है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

निगम गैराज वाहनो का समयबद्ध संचालन, डीजल खपत, रखरखाव व्यय की पारदर्शी व्यवस्था हेतु कम्प्यूटराईज्ड सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसे लागू किया जाना है।

उद्यान शाखा

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा 213 उद्यानों का नियमित संधारण कार्य करवाया जा रहा है। नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र द्वारा संधारित किये जा रहे मुख्य पार्कों में जयनिवास उद्यान, भगतसिंह पार्क आदर्श नगर, चित्रकुट पार्क जवाहर नगर, विवेकानन्द पार्क जवाहर नगर, वीर छत्रसाल पार्क, पुनसराम पार्क तथा दिल्ली रोड स्थित ग्रीनवैली प्रोजेक्ट आदि प्रमुख है।

निगम उद्यानों में ओपन–जिम लगवाने का कार्य करवाया जा रहा है जिसमे लगभग 45 उद्यानों में ओपन–जिम लगवाये जा चुके है। शेष उद्यानों में भी कार्य करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वर्षा ऋतु में उद्यान शाखा द्वारा जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, संगठनो, विकास समितियों की अभिशंषा पर उनकी कॉलोनियो/क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य करवाया गया। वर्षाऋतु में विभिन्न सरकारी संस्थानों, संगठनों विद्यालयों आदि में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

इसके अतिरिक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज के संधारित उद्यानों में बच्चों के खेलने हेतु 65 सेट खेल–उपकरण लगवाये गये। शेष उद्यानों में भी आवश्यकतानुसार खेल–उपकरण लगवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दिल्ली रोड स्थित ग्रीनवैली क्षेत्र के अविकसित भागों का भी विकास कार्य करवाकर संधारण कार्य करवाया जा रहा है। शेष भाग आगामी वित्तीय वर्ष में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

उद्यान शाखा के तत्वाधान में ग्रीष्मऋतु में लॉकडाउन के दौरान उद्यानों में पक्षियों के पानी पीने हेतु परिण्डे लगवाये, पशुओं के पानी पीने हेतु कुण्ड रखवाये गये।

आगामी वित्तीय वर्ष में जवाहर नगर स्थित चित्रकूट पार्क, भगतसिंह पार्क, कल्पना चावला पार्क, फैक्टस पार्क, सरदार पटेल पार्क से जवाहर नगर आदि प्रमुख उद्यानों का सौन्दर्यीकरण (पूर्णोद्धार) करवाया जाना प्रस्तावित है। उद्यानों में आमजन के लिये बैठने हेतु बैन्चे, कचरा डालने हेतु कचरा–पात्र, बच्चों के मनोरंजन हेतु खेल–उपकरण लगवाया जाना एवं अन्य सुविधायें आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है। आगामी वित्तीय वर्ष में निगम के अन्य उद्यानों में अधिक से अधिक संख्या में ओपन जिम उपकरण लगवाया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त निगम क्षेत्र के लगभग 75 अविकसित उद्यानों एवं जयपुर विकास प्राधिकरण से स्थानान्तरित होकर आने वाली नई कॉलोनियों के अविकसित पार्कों में से लगभग 50 में उद्यान विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इन उद्यानों में सिविल कार्य यथा बाउण्ड्रीवॉल, वॉक–वे, बोरिंग, रेलिंग, मेनगेट लगाना आदि कार्य होने के पश्चात् लॉन, पेड–पौधे आदि लगवाकर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था

एनर्जी सेविंग प्रोजक्ट

जयपुर शहर में एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट के माध्यम से सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में क्रान्तिकारी रूप से ऊर्जा बचत सम्भव हो पाई है जो कि आर्थिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

ESCO प्रोजेक्ट

नगर निगम द्वारा शहर मे लगभग 87 हजार 560 स्ट्रीट लाईटों का संधारण किया जा रहा है। सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था पर होने वाले अत्याधिक विद्युत उपभोग को देखते हुए नगर निगम द्वारा एनर्जी सेविंग प्रोजक्ट तैयार कर रोड़ लाईटों को ऊर्जा बचत करने वाली लाईटों से पीपीपी मॉडल के माध्यम से परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया तथा No Cost की अवधारणा पर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इसके अन्तर्गत कन्वेशनल स्ट्रीट लाईटों को एल.ई.डी. लाईटों में परिवर्तन करने हेतु मैसर्स एफीशियेन्ट इलूमिनेशन प्रा0 लि0 के साथ दिनांक 24.02.2014 को एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

ESCO प्रोजेक्ट के तहत EIPL द्वारा नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में अब तक 36 हजार 136 एलईडी लाईटें लगा दी गई है।

इस प्रोजेक्ट की लागत का भुगतान ऊर्जा बचत में से किया जा रहा है। इसमें गारंटीड ऊर्जा बचत 77.13 प्रतिशत है। (ऊर्जा बचत का 69.94 प्रतिशत शेयर फर्म को मिलेगा तथा 30.06 प्रतिशत शेयर नगर निगम को देय होगा।)

यह फर्म आगामी 10 वर्ष तक रख–रखाव कार्य करेगी, एवं रख–रखाव कार्य का भुगतान निगम द्वारा किया जाता है।

EESL प्रोजेक्ट

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम व EESL के मध्य 1.30 लाख रोड़ लाइटों को एलईडी लाईटों में बदलने हेतु दिनांक 10.04.2015 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया। EESL को LED लाईट लगाने हेतु तीन जोन (पूर्ववर्ती मानसरोवर, सिविल लाईन एवं विद्याधर नगर जोन) आंवटित किये गए थे।

EESL द्वारा द्वितीय चरण में LED लगाने का कार्य सम्पूर्ण सिविल लाईन एवं हवामहल विधानसभा वार्ड नं. 5,6,7,19,23,15,16 में किया जायेगा एवं अब तक हैरिटेज क्षेत्र मे लगभग 20 हजार 500 नग एलईडी लाईट लगाई जा चुकी है।

इस प्रोजेक्ट की लागत का भुगतान Annuity आधार पर किया जायेगा। इसमें गारंटीड उर्जा बचत 50 प्रतिशत है। यह फर्म आगामी 7 वर्ष तक रख–रखाव कार्य करेगी।

विद्युत बिल बचत हेतु किये गये प्रयासों से रोड़ लाईट मासिक बिल में 2.47 करोड़ की हुई कमी

डाईरेक्ट रोड लाईट पॉइन्ट्स का संयुक्त सर्वे करवाया गया एवं डाईरेक्ट पॉईन्टों पर फेज वायर डलवाकर LED लाईटे लगवाई गई। जिससे विद्युत अपव्यय कम हुआ एवं लोड में कमी हुई फलस्वरूप विद्युत बिल कम हुआ।

वर्तमान में जहां पर फेज वायर डाल दिया गया है, उन स्थानों पर डाईरेक्ट पॉईन्ट को मीटर्ड में बदलने हेतु नये विद्युत कनेक्शनों हेतु पत्रावलियों जमा कराई जा रही है।

उक्त प्रयासों के कारण समस्त जयपुर शहर के रोड लाईट के मासिक बिल में 2.47 करोड रूपये की कमी हुई हैं।

सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था मे अन्य कार्यो की प्रगति

रोड लाईट विद्युत तन्त्र का सुदृढ़ीकरण :– नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा रोड लाईट हेतु लगभग 400 कि.मी. फेज वायर एवं लगभग 408 विद्युत पोल लगाकर रोड लाईट विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जिससे सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में सुधार हुआ एवं विद्युत बिल खर्च में बचत हुई।

वर्तमान में सम्पूर्ण हैरिटेज क्षेत्र में 800 नये पोल लगाने के लिए लगभग 1.39 करोड रूपये का कार्यादेश जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में 4500 नग नई एल.ई.डी. लगाने का लगभग 95 लाख रूपये का कार्यादेश भी जारी किया जा चुका है।

इसी प्रकार नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के द्वारा ABD क्षेत्र में विद्युत तंत्र को अण्डर ग्राउण्ड किए गए स्थानों पर नए पोल लगाकर विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है, एवं अन्य क्षेत्र जहां जे.वि.वि.एन.एल. द्वारा विद्युत इन्फ्रास्ट्रेक्चर अण्डरग्राउण्ड कर दिया गया है। उन स्थानों पर नये पोल लगाकर विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र मे लगभग 81 नग हाईमास्ट लाईटें लगा दी गई है। शेष स्थानों पर आवश्यकतानुसार हाईमास्ट लाईटें लगाने का कार्य प्रगति पर है।

स्व–रोजगार और कौशल विकास की ओर अग्रसर

एन.यू.एल.एम (DAY-NULM)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षैत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के अन्तर्गत बीपीएल सूची–2003 में चयनित परिवार, स्टेट बीपीएल सूची में सम्मिलित परिवार एवं अन्य शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय रू. 3 लाख रूपये तक है उन परिवारों के लिये निम्न योजनायें संचानित की जा रही है :–

1. **कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम** :–DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु 3 से 6 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण तथा सफल प्रशिक्षण पश्चात् संबन्धित क्षेत्र मे रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस घटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटित लक्ष्य 600 के विरूद्व 95 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं 1071 युवा विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे है।

gl

2. **स्व–रोजगार कार्यक्रम (Self Employment Programme-SEP)** :–DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में बैंको से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे शहरी गरीब परिवारों के सदस्यों द्वारा लाभकारी स्वरोजगार/उद्यम स्थापित किये जा सकें। शहरी गरीब व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रुपये 2.00 लाख (अधिकतम) के लिए तथा समूह में परियोजना लागत रूपये 10.00 लाख (अधिकतम) के लिए बैंक ऋण दिया जाता है तथा इस ऋण पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रुप में DAY-NULM परियोजना से उपलब्ध करायी जाती है। इस घटक के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में आवंटित लक्ष्य 150 के विरुद्व 350 आवेदक के आवेदन पत्र टास्क फोर्स मिटिंग में अनुमोदन पश्चात बैंकों को भिजवाये जा चुके है।

3. **स्वयं सहायता समूह** :– नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा शहरी गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए शहरी गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित किया जाता है इन स्वयं सहायता समुहों को सक्रिय रूप से क्रियान्वित रहने पर गठन के तीन माह बाद रिवाल्विंग फंड के रूप में 10,000 /–रूपये का अनुदान योजनांतर्गत प्रदान किया जाता है। इन समूहों के 70 प्रतिशत सदस्य शहरी गरीब परिवार से होने अनिवार्य हैं। इस घटक के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 105 स्वंय सहायता समूहों का गठन किया जाकर 117 स्वयं सहायता समूह को (11.70 लाख) रूपये 10,000/– प्रति समूह को रिवाल्विंग फंड के रूप में सहायता राशि प्रदान की गई है।

4. **शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता** :– माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित कर लाईसेन्स देने के प्रयोजन से सर्वे का कार्य जारी है। जिसमें नगर निगम जयपुर हैरिटेज में 7231 पथ विक्रेताओं का सर्वे किया जा चुका है। कोविड 19 के अर्न्तगत श्रम एवं रोजगार विभाग के परिपत्र दिनांक 25.03.2020 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.04.2020 के प्रावधानों के अनुरुप 4051 स्ट्रीट वेन्डर्स के परिवार को (3500 रुपये प्रति परिवार) सहायता राशि का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है।

5. **प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना** :– प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत कोविड–19 से प्रभावित स्ट्रीट वेन्डर्स को सम्बल प्रदान करने हेतु 1 जुलाई 2020 से योजना प्रारम्भ की गई है। जिसके अन्तर्गत स्ट्रीट वेन्डर्स को 10000 रूपये कार्यशील पूजी ऋण बैंकों के माध्यम से 7 प्रतिशत ब्याज की छूट के साथ उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। इस योजना अन्तर्गत दिनांक 04.02.2021 तक पी.एम. स्वनिधि ऑनलाईन पोर्टल पर कुल 9750 लोन आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र 1473 एवं ऋण वितरण 2453 शेष 5724 ऋण आवेदन पत्रों में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जानी है।

6. **बेसहारों के लिए राहत की शरण स्थली रैन बसेरे** :– नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा शहरी बेघर एवं निराश्रित लोगों को मूलभूत सुविधाओं व सेवाओं युक्त स्थायी आश्रय स्थल उपलब्ध कराये जाते है। नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा शहर में 07 स्थायी एवं सर्दी के मौसम में 04 अस्थायी कुल 11 आश्रय स्थलों/रेन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। इनमें महिलाओं एवं पुरुषों के ठहरने की पृथक–पृथक व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार सर्दी के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिये इन रैन बसेरों में 840 लोगों के ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। इनमें रात्रिकालीन भोजन की व्यवस्था मोती डूंगरी गणेश मंदिर ट्रस्ट की और से की जा रही है। निगम द्वारा सभी रैन बसेरों में रजाई गददे, पीने का पानी, बिजली, गार्ड, तापने के लिये लकड़ी एवं प्राथमिक उपचार के लिए किट की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। कोविड के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिये सभी आश्रय स्थलों में मास्क, सैनेटाईजर तथा थर्मल स्केनर की व्यवस्था उपलब्ध है।

पशु प्रबंधन शाखा

जयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने व जयपुर शहर के सौन्दर्यकरण के क्रम में नगर निगम जयपुर हैरिटेज का पशु प्रबंधन अनुभाग शहर को आवारा पशुओं से मुक्त करवाने के उद्देश्य से अभियान के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही आवारा पशु, मृत पशु, बीमार पशु, कुत्ता, सुअर, बंदर अवैध मीट शॉप आदि की शिकायत के निवारण हेतु फायर कंट्रोल की तर्ज पर कन्ट्रोल रूम दबावखाना स्थापित किया गया है। जिसका टोल फ्री मोबाईल नम्बर 8279179095 है।

गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया

जयपुर शहर में पकडे गये बेसहारा एवं आश्रयहीन गौवंश को आजीवन आश्रम प्रदान करने हेतु नगर निगम द्वारा संचालित गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में गौवंश के संवर्धन व अत्याधुनिक रख–रखाव हेतु भारतवर्ष के प्रतिष्ठित चेरीटेबल ट्रस्ट 'श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट' को 19 वर्ष के अनुबंध पर दिया गया है, जो गौवंश के हितार्थ उठाया गया सहरानीय कदम है। वर्तमान में गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में लगभग 12 हजार 121 गौवंश का आश्रय प्राप्त है। गौवंश के रखरखाव चारा, दाना, पानी के लिए नगर निगम जयपुर हैरिटेज श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट को लगभग 70 लाख रूपये प्रतिमाह भुगतान करता है।

बेसहारा तथा आश्रयहीन गाय/पशु नियंत्रण

नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र से बेसहारा एवं आश्रयहीन पशुओ को अभियान के रुप में पकडवाकर गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया भेजा जा रहा है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में लगभग 12 हजार 121 बेसहारा एवं आश्रयहीन पशु पकडवाकर गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में पहुंचाये गये। जयपुर शहर को बेसहारा एवं आश्रयहीन पशु मुक्त करने के लिए नगर निगम हैरिटेज द्वारा कार्य किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 446/2015 के निर्देशों के अनुसार समय–समय पर सघन अभियान चलाये जाकर नगर निगम हैरिटेज से बेसहारा एवं आश्रयहीन पशु/अवैध पशु डेयरी हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

सुअर

जयपुर शहर से आवारा विचरण करते सुअरों को नगर निगम हैरिटेज के कर्मचारियों द्वारा पकडवाया जा रहा है एवं शहर में वृहद स्तर पर सुअर पालकों के विरूद्ध समस्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। वर्ष 2020–21 में जयपुर शहर से लगभग 460 आवारा सुअर पकडे गये है। सुअरों पालकों पर जुर्माने एवं नीलामी द्वारा आय अर्जित की जा रही है। आवारा सुअर पकडने के लिए वर्तमान में एक टीम कार्यरत है।

श्वान

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ABC Rules 2001 के अनुसार श्वान प्रबंधन का कार्य करवाया जा रहा है। नगर निगम जयपुर हैरिटेज श्वानों की संख्या नियंत्रण पर मुस्तैदी से कार्य कर रहा है जिसमें आगामी एक वर्ष में 7200 श्वानों का ए.बी.सी. प्रोग्राम द्वारा बद्धियाकरण व एन्टीरेबीज वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्रस्तावित है जनहित के मद्देनजर शहर के जयसिंहपुरा खोर स्थित श्वान घर में रेबीज डॉग्स के लिए MASS VACCINATION, ISOLATION WARD एवं INCINESATOR बनवाये जाने की कार्य योजना प्रस्तावित है।

बंदर

जयपुर शहर के लगातार विस्तार व बंदरों के रिहायशी स्थलों पर मानव द्वारा रहवास होने से यदा–कदा बंदर मानव रिहायशी क्षैत्रो में घुसपैठ करते है जिससे जनहित प्रभावित होता है। ऐसे उत्पाती बंदरो को पकडवाने के लिए नगर निगम, जयपुर हैरिटेज पशु प्रबंधन अनुभाग द्वारा अनुबंध पर ठेका किया जाता है। वर्ष 2020–21 में 3200 बंदर पकडवाकर जंगल (प्राकृतिक आवास) में छुडवाये गये है व शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।

रोगी, दुर्घटनाग्रस्त पशु एम्बूलेंस संचालन

नगर निगम जयपुर हैरिटेज सीमा क्षेत्र में वेदनाग्रस्त, रूग्ण, दुर्घटनाग्रस्त, असहाय गौवंश को नगर निगम द्वारा निःशुल्क आधुनिक सुविधयुक्त एम्बूलेंस वाहन से वहन कर गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया स्थित पशु चिकित्सालय में चिकित्सा उपलब्ध करवायी जा रही है। वर्तमान में नगर निगम जयपुर हैरिटेज में 3 एम्बूलेंस वाहन है। नगर निगम हैरिटेज द्वारा बीमार गौवंश के लिए 24 घण्टे सुविधा उपलब्ध है। उक्त कार्य के लिए पुरानी कोतवाली दवावखाना कंट्रोल रूम बनाया गया है। वर्ष 2020–21 में नगर निगम द्वारा लगभग 3023 बीमार गौवंश को गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में चिकित्सा सहायतार्थ भिजवाया गया।

मृत मवेशी

नगर निगम जयपुर हैरिटेज सीमा क्षेत्र में मृत पशुओं को नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा निःशुल्क उठवाकर गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में पहुंचाया जाता है। उक्त कार्य के लिए पुरानी कोतवाली दवावखाना में कंट्रोल रुम बनाया गया है। जो 24 घण्टे कार्यरत रहता है।

चैनपुरा स्लॉटर हाउस

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा चैनपुरा में स्लॉटर हाउस संचालित किया जा रहा है। चैनपुरा स्लॉटर हाउस में दो बकरा/मेंढा वध ग्रह एवं दो पाडा ग्रह संचालित है। जयपुर शहर में मॉर्डन स्लॉटर हाउस बनाया जाना प्रस्तावित है राज्य सरकार से अनुमति पश्चात् प्रक्रिया चालू कर दी जायेगी। शहर में समस्त जोन स्तर पर जगह चिन्हित कर एक ही स्थान पर अलग–अलग मीट मार्केट खोलने की योजना है जिसमे आम नागरिक को एक ही स्थान पर मीट उपलब्ध हो सके एवं शहर को अवैध बूचडखाना एवं इससे उत्पन्न गंदगी से निजात दिलाई जा सकें। जयपुर शहर में मुर्गा मण्डी के स्लॉटर हाउस का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन

जन्म–मृत्यु का पंजीयन अस्पताल द्वारा पहचान वैब पॉर्टल पर ऑनलाईन किया जाता है। शमशान एवं घर पर हुए जन्म–मृत्यु का पंजीयन संबंधित जोन कार्यालय द्वारा किया जाता है। जिन पर संबधित जोन कार्यालय के उपरजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किये जाते है। हस्ताक्षर उपरान्त पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्रमाण–पत्र ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।

विवाह पंजीयन हेतु भी पहचान वेब पॉर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वर–वधु को दस्तावेज सहित कार्यालय में उपस्थित होने की दिनांक दी जाती है। निर्धारित तिथि को उपस्थिति पर विवाह पंजीयन कर प्रमाण–पत्र उस दिन जारी कर दिया जाता है।

वर्ष 2020 में जन्म 93,159 मृत्यु 46,975 एवं विवाह पंजीयन 11,169 किये गये।

सतर्कता शाखा

1. नगर निगम सतर्कता शाखा द्वारा विगत माह में बाजारों के बरामदों/सरकारी रोड पर यातायात/आमजनता के आवागमन को बाधित कर रहे अतिक्रमणों को हटवाया गया तथा इस दौरान् 1,50,500/– रूपये का कैरिंग चार्ज वसूला गया।
2. बिना मास्क पहने सामान बेचते हुए पाये जाने पर 193 दुकानदारों से 500/– रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 96,500/– रूपये शास्ति वसूली गई।
3. बिना मास्क पहने हुये खरीददारी करते हुये पाये जाने पर 60 व्यक्तियों से 200/– रूपये के हिसाब से 12000/– रूपये शास्ति वसूली गई।
4. बाजारों, पार्को, दुकानों पर सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करते हुये पाये जाने पर 59 व्यक्तियों से 100/– रूपये के हिसाब से 5900/– रूपये शास्ति वसूली गई।
5. कोविड–19 महामारी के दौरान् राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की पालना में विवाह समारोह में 100 से अधिक की भीड़ नहीं करने हेतु आयोजनकर्त्ता एवं विवाह स्थल संचालनकर्त्ता को नोटिस जारी किये गये साथ ही वर–वधु के माता–पिता को जागरूक करते हुये बधाई पत्र देते हुये नवाचार किया गया, जिसकी आमजनता द्वारा काफी सराहना की गई।

उपरोक्त कार्यवाही के दौरान् निगम राजकोष में 2,64,900/– रूपये जमा करवाये गये।

कच्ची बस्तियों का पुनर्वास एवं विकास

राजीव आवास योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। जिसके तहत सम्पूर्ण देश को कच्ची बस्ती मुक्त करना है। इसी के तहत राज्य एवं इनके चयनित कुछ शहरों को स्लम मुक्त करने के साथ जयपुर शहर को भी स्लम मुक्त किया जाना है। इस योजना के प्रथम चरण मे मौजूदा स्लमों में से चयनित कुछ कच्ची बस्तियों का सम्पूर्ण विकास नवीन आवास मय आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबधित है। इसके तहत नगर निगम जयपुर हैरिटेज के क्षेत्राधिकार की पांच कच्ची बस्तियों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा "संजय नगर भट्टा बस्ती" विस्तृत परियोजना के आधार पर कुल 2332 आवास मय आधारभूत सुविधाओं हेतु स्वीकृति जारी की जाकर वर्तमान मे तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। दूसरा चरण नवीन स्लम को रोकने से संबंधित है। यह योजना सम्पूर्ण नगरीय विकास के प्रति वचनबद्ध है जिसके तहत स्लम मुक्त नगर कार्य योजना तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनवल मिशन की "बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर" के तहत नगर निगम जयपुर हैरिटेज की चयनित 12 कच्ची बस्ती के सर्वेधारियों को जयसिंहपुरा खोर, दिल्ली रोड पर निर्मित आवासों में पुनर्वासित करने की प्रक्रिया जारी है।

अभियांत्रिकी शाखा

वर्ष 2020–21 में सड़क निर्माण पर रू. 1121.41 लाख, अन्य निर्माण पर रू. 1247.44 लाख, नाली निर्माण व रख–रखाव पर रू. 1442.48 लाख रूपये, सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय निर्माण पर रू. 20.66 लाख, शमशान/कब्रिस्तान विकास पर रू. 107.50 लाख, बिजली लाईनों में वृद्धि पर 374.54 लाख रूपये, उद्यान निर्माण पर रू. 436.58 लाख, वृक्षारोपण पर रू. 148.53 लाख, सीवर लाईन निर्माण पर रू. 285.84 लाख, हैरिटेज सरंक्षण पर रू. 3.37 लाख, हिंगोनियों गौशाला विकास पर रू. 46.93 लाख, नगर निगम भवनों के रख–रखाव व निर्माण पर रू. 118.30 लाख, स्मार्ट सिटी योजनाओं के अन्तर्गत रू. 102.21 लाख, ठोस कचरा प्रबन्ध गृह निर्माण पर रू. 3.44 लाख तथा आर.यू.आई.आर.पी. के तहत सड़क नवीनीकरण पर रू. 240.30 लाख अभी तक व्यय किये गये हैं।

वर्ष 2021–22 में मथुरादासपुरा कचरा डंपिग यार्ड पर बायोमाईनिंग/ लीगेसी वेस्ट निस्तारण कार्य हेतु रू. 131.12 करोड़, नगर निगम जयपुर हैरिटेज के समस्त 100 वार्डों में प्रति वार्ड रू. 2.00 करोड़ रूपये, की लागत से सड़कों के निर्माण/सुदृढीकरण/नवीनीकरण के लिए कुल रू. 200.00 करोड़, प्रति वार्ड रू. 50.00 लाख की लागत से फुटपाथ निर्माण के लिए रू. 50.00 करोड़, अन्य निर्माण के लिए रू. 28 करोड़, सड़क नाली मरम्मत के लिए रू. 28 करोड़ शमशान व कब्रिस्तान विकास पर रू. 10 करोड़, जयसिंहपुरा खोर एस.टी.पी प्लाट के अपग्रेडेशन के लिए रू. 50.00 करोड़, सीवरेज मिसिंग लिंक्स के लिए रू. 25.00 करोड़, नवीन सीवर लाईन के लिए रू. 25.00 करोड़, लाल डूंगरी शमशान के विकास कार्य हेतु रू. 4.98 करोड़ तथा स्वच्छ भारत मिशन के लिए रू. 15 करोड़ व्यय होना अनुमानित है।

ई–गर्वनेन्स

ई–गर्वनेन्स परियोजना

नगर निगम जयपुर हैरिटेज में बेहतर एवं पारदर्शी जन सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए 24 मॉड्यूल तैयार कर ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही है। उनमें ऑनलाइन कैश कलेक्शन, दोहरा लेखा पद्विति से लेखे तैयार करना ,स्टोर की इनवेन्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम, सूचना के अधिकार में आवेदन एवं लोक सेवा गारंटी के आवेदन, लीगल केस, कर्मचारियों के वेतन एवं पेरोल, लीज बिलिंग कलेक्शन का कार्य, नगरीय विकासकर बिलिंग कलेक्शन का कार्य, भूमि नीलामी व अन्य कार्य, ठोस कचरा प्रबन्धन के डेटा इत्यादि सभी कार्य ऑनलाइन एवं कम्प्यूटरीकृत किये गये है ।

फाईल ट्रेकिंग सिस्टम

नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्यो में पारदर्शिता बनी रहे एवं आमजन के कार्य निर्धारित समय में पूरे हो सके, इसके लिए पिछले वर्ष नगर निगम द्वारा नगर निगम मुख्यालय एवं जोनल कार्यालयों सहित 180 जगहों पर उक्त व्यवस्था लागू की गयी है । इस व्यवस्था में जहां एक ओर पत्रावली व्यवस्थित हो सकी है वहीं दूसरी ओर आमजन के कार्यों को निर्धारित समय में पूरा किया जा रहा है। फाइलों की मॉनिटरिंग अब आसान हो गई है एवं उनकी लोकेशन कम्प्यूटर सिस्टम में दर्ज हो जाती है, जिससे कार्य निष्पादन बढ़ा है।

स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा व पारदर्शिता हेतु ई–टेण्डरिंग

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा जारी 01 लाख रूपये से अधिक की सभी विकास कार्यों की निविदाएं ई–टेण्डरिंग के माध्यम से की जाती हैं। इससे कार्य में पारदर्शिता आई है।

कॉल सेन्टर

आम नागरिक नगर निगम जयपुर हैरिटेज से जुड़ी सफाई, सार्वजनिक प्रकाश, सड़क, नाली, सीवर, आवारा पशु, अतिक्रमण आदि से सम्बन्धित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिये कॉल सेन्टर 0141–2607500 पर प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे तक, वेब साईट एवं समाधान एप पर भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। कॉल सेन्टर पर दर्ज आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है। निगम प्रशासन द्वारा कॉल सेन्टर पर आने वाली शिकायतों एवं उनके निस्तारण के कार्य की दैनिक समीक्षा भी की जाती है।

पत्र मॉनिटरिंग सिस्टम

नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्यो में पारदर्शिता बनी रहे एवं आमजन के कार्य निर्धारित समय में पूरे हो सके, इसके लिए नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा नगर निगम जयपुर हैरिटेज मुख्यालय एवं जोनल कार्यालयों पर पत्र मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू की गई है। पत्रों की मॉनिटरिंग अब आसान हो गई है एवं उनकी लोकेशन कम्प्यूटर सिस्टम में दर्ज हो रही है, जिससे कार्य का निष्पादन आसान हो गया है। इस सिस्टम में आमजन एवं

सरकार द्वारा समय–समय पर जारी पत्रों को स्केन करके एक युनिक नम्बर की रसीद जारी की जा रही है । इस नम्बर के आधार पर पत्र किसके पास है। यह जानकारी तुरन्त उपलब्ध हो जाती है ।

ऑनलाइन पेमेन्ट

नगर निगम जयपुर हैरिटेज सेवाओं को अधिक बेहतर बनाने के लिए एवं नगर निगम जयपुर हैरिटेज में राशि ऑनलाइन जमा करने एवं निगम के संवेदकों को ऑनलाइन पेमेन्ट करने की व्यवस्था की गई है इससे जहां एक ओर कार्यों में पारदर्शिता आयी है वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। अब नगरीय विकास कर, गृहकर, डेयरी बुथ किराया, ट्रेड लाईसेंस, शहरी जमाबंदी एवं संवदकों की ईएमडी ऑनलाइन जमा करायी जा रही है, जिससे नगर निगम कार्यालय में नागरिकों को बार–बार नहीं आना होगा।

जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा ऑनलाईन डिजिटल साईन प्रमाण पत्र मुख्यालय एवं जोनल कार्यालय द्वारा जारी किये जा रहे है । इसके लिये मुख्यालय पर अलग से हेल्पलाईन तैयार कर कार्य किया जा रहा है। इससे आमजन को नगर निगम आने की आवश्यकता नही रहेगी ।

डेयरी बूथ किराया

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा डेयरी बूथ किराया को ऑनलाईन किया जाकर डेयरी बूथ धारक को ऑनलाईन भुगतान की सूविधा दी गई है जिससे डेयरी बूथ धारक को नगर निगम में किराये की गणना करवाकर भुगतान हेतु निगम में आने की आवश्यकता नही है ।

ट्रेड लाईसेंस

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा लाईसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जाकर ऑनलाईन भुगतान की सुविधा दी गई है जिससे लाइसेंस धारक को नगर निगम में भुगतान हेतु निगम में आने की आवश्यकता नही है ।

फॉयर एन.ओ.सी.

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा फॉयर एन.ओ.सी की प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जाकर ऑनलाईन भुगतान की सूविधा दी गई है जिससे आमजन को नगर निगम में एन.ओ.सी हेतु निगम में आने की आवश्यकता नही है ।

भवनो के नक्शो की स्वीकृति

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा भवनो के नवशों की प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जाकर ऑनलाईन भुगतान की सूविधा दी गई है जिससे आमजन को नगर निगम में नक्शे की स्वीकृति हेतु निगम में आने की आवश्यकता नही है ।

ई–ऑक्शन

नगर निगम जयपुर हैरिटेज सेवाओं को अधिक बेहतर एवं पारदर्शी बनाने के लिए नगर निगम द्वारा समस्त नीलामी को ई–ऑक्शन के माध्यम से किया जा रहा है । इससे नीलामी में भाग लेने के लिये किसी को भी नगर निगम, जयपुर हैरिटेज आने की आवश्यकता नही है।

राजस्व शाखा

राजस्व व्यवस्था

नगर निगम जयपुर हैरिटेज अपने क्षेत्राधिकार में निम्न मदो से राजस्व अर्जन करता हैं।

1. क्षेत्राधिकार में कर योग्य सम्पत्तियो से नगरीय विकास कर से
2. क्षेत्राधिकार में स्थित सम्पत्तियों से लीज अर्जन से
3. होर्डिंग्स, यूनिपोल्स विज्ञापन शुल्को से
4. विवाह स्थलो के पंजीकरण शुल्क से
5. मोबाइल टावरों को अनापत्ति शुल्क से
6. डेयरी बूथो से किराया शुल्क से
7. सार्वजनिक क्षेत्रो में पार्किंग शुल्क से
8. आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी

वर्तमान में 8 अक्टूबर 2020 से नगरीय विकास शुल्क एवं प्राईवेट प्रोपर्टी के विज्ञापन शुल्क, संग्रहण एवं सर्वे का कार्य आऊट सोर्स पद्धति से स्पैरो सोफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड फर्म से कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नागरिको को सुविधार्थ ब्याज पैलन्टी में छूट अवधि के दौरान शुल्क वार्ड वाईज कैम्प आयोजित कर वसूल की जाती है। राजस्व अर्जन के लिये निगम हैरिटेज द्वारा 5 प्रकार के ट्रैड लाईसेंस शुल्को का अनुमोदन करा लिया गया हैं।

होर्डिंग शाखा

नगर निगम जयपुर हैरिटेज की होर्डिंग शाखा द्वारा वित्तिय वर्ष 2020–21 में अब तक 3 करोड़ 84 लाख रूपये की राशि वसूल की जा चुकी है। राजस्व आय में वृद्धि करने हेतु होर्डिंग शाखा द्वारा ई–ऑक्शन के माध्यम से होर्डिंग साइटों की ई–नीलामी दिनांक 22 व 23 फरवरी 2021 को प्रस्तावित की गई है। उक्त नीलामी में 1.5 करोड रूपये की होर्डिंग साइट की ऑक्शन होने की आशा है। राजस्व आय में वृद्धि के लिये नगर निगम शहर के विकसित मार्गों पर नई होर्डिंग्स व यूनिपोल साईट्स चिन्हित करवा रहा है।

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा वर्ष 2020 में मैसर्स स्पैरो सोफ्टेंक प्रा. लि. को विज्ञापन शुल्क (नीलामी विज्ञापन साईटों को छोड़कर) के जिओ टेग्ड सर्वे एवं कर संग्रहण का कार्यादेश दिया जा चुका है। फर्म द्वारा अक्टूबर माह से कार्य प्रारम्भ कर विज्ञापन शुल्क राशि भी नगरीय विकास कर के साथ वसूल की जा रही है।

विकास कार्य

नगर निगम जयपुर हैरिटेज में बजट वर्ष 2021–22 में निम्न निर्माण कार्यों (घटकों) को शामिल किया गया है, जिसमें सभी जोन सम्मिलित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

नई सड़कों के निर्माण पर राशि	रू. 38 करोड़
अन्य निर्माण राशि	रू. 28 करोड़
सड़क नाली मरम्मत राशि	रू. 28 करोड़
श्मशान व कब्रिस्तान विकास राशि	रू. 10 करोड
बिजली लाईन वृद्धि राशि	रू. 10 करोड़
उद्यान और वृक्षारोपण राशि	रू. 22 करोड़
सीवरेज राशि	रू. 25 करोड़
स्वच्छ भारत मिशन राशि	रू. 15 करोड़

इनके अतिरिक्त को आय–व्यय अनुमान वर्ष 2021–22 में बोर्ड स्वीकृति से समायोजित कर लिया जायेगा।

बजट प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान व 2020–21 के संशोधित बजट अनुमान

आय का विवरणः–

(राशि रू.लाखो में)

क्र. सं	मद का नाम	स्वीकृत आय प्रावधान वर्ष 2020–21	वास्तविक आय 31.12.2020 तक	संशोधित आय प्रावधान वर्ष 2020–21	प्रस्तावित आय प्रावधान वर्ष 2021–22
1	आवर्तक आय	44025.40	16197.97	43671.00	40832.00
2	अनावर्तक आय	35094.40	10696.14	29027.00	37628.00
	योग	79119.80	26894.11	72698.00	78460.00

व्यय का विवरणः–

(राशि रू. लाखों में)

क्र. सं	मद का नाम	स्वीकृत आय प्रावधान वर्ष 2020–21	वास्तविक आय 31.12.2020 तक	संशोधित आय प्रावधान वर्ष 2020–21	प्रस्तावित आय प्रावधान वर्ष 2021–22
1	आवर्तक आय	36855.60	18398.64	34482.80	38751.00
2	अनावर्तक आय	42264.20	7373.33	38215.20	39709.00
	योग	79119.80	25771.97	72698.00	78460.00

मेरी हार्दिक शुभकामनाएं
जय हिन्द – जय भारत

बजट अभिभाषण पढे जाने के उपरान्त महापौर महोदया द्वारा कहा गया कि मेरी हार्दिक शुभकामनाऐं "जय हिन्द, जय भारत"। अब पहले आप सभी सदस्यगण अपने–अपने परिचय दे। इस पर सभी उपस्थित सदस्यो द्वारा (अपना नाम, वार्ड ने., विधान सभा क्षैत्र) परिचय दिया गया।

इसके बाद महापौर महोदया ने कहा कि सभी का धन्यवाद। आज मुझे विश्वास है कि आप सभी मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से नगर निगम, जयपुर हैरिटेज का विकास चाहते है आप किसी को यदि कोई अपनी बात रखनी है तो बताये।

आपसी वार्तालाप.....

श्री उमरदराज :– महापौर महोदया उपस्थित सभी सभासदगण को तहेदिल से मुबारकबाद। मै समझता हूँ कि हम यहां सभी राजनैतिक दल से उपर उठकर जयपुर का विकास कैसे हो, जयपुर ग्रीन हो, स्वच्छ हो, हम सभी इसमें मिलकर मोहब्बत से जयपुर के विकास की बात करेंगें, मै ऐसी उम्मीद रखता हूँ। बजट पेश किया गया है इसे हमें पास करना है यदि बजट पास नहीं होगा तो यहां जितने भी सभासद बैठें है, जिनको जनता ने चुनकर यहां पर पहुंचाया है, वह जनता को क्या जबाव देगें। बजट में कुछ संशोधन करने हेतु मै आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि नई सड़क निर्माण मद में 38 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है, इसे बढायें। क्योंकि हैरिटेज निगम में 100 वार्ड है, हर वार्ड में नई सड़क निर्माण मद में कम से कम 1 करोड़ रू. होना चाहिए। इसे बढायें तो बेहतर होगा। जनता के विकास के काम हो और उनकी बातों का हम माकूल जबाव दे सकें, उनकी उम्मीदों पर खरे हों, इसके साथ–साथ अन्य निर्माण मद में आपने 28 करोड़ रू. का प्रावधान किया है यह भी कम है इसे बढाकर 50 करोड़ किया जाये और जो 38 या 40 करोड़ इसमें दिया है उसे भी बढाया जाये क्योंकि सड़क, नाली, सीवरेज, सफाई यह तीन काम महत्वपूर्ण काम है, इन कामो को हम ठीक से कर सकें, इन मदो के बजट को आप बढाये। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि इस मीटिंग के एजेण्डे को किसने बनाया, मैं कहना चाहूंगा कि आगे से जो एजेण्डा/प्रस्ताव बनाया जाये उन्हें यह ताकीद किया जाये कि बजट और प्रस्तावों को ठीक से तैयार किया जाये। हमें पूरा विवरण दिया जाये, ताकि हम प्रस्ताव पर चर्चा कर सकें। साथ ही बताना चाहूंगा कि पिछले बोर्ड की तरह जो बजट बनता था उसका हम 40 से 50 प्रतिशत ही खर्च कर पाते थे, हैरिटेज निगम का जो बजट है मुझे उम्मीद है कि हम इसे 100 प्रतिशत खर्च कर सकेंगें और बिना किसी भेदभाव के मिलकर हम विकास के कामों को करेंगे यह उम्मीद है, धन्यवाद।

महापौर महोदया :– ने कहा कि प्रत्येक वार्ड के लिए 1.50 करोड़ रू. (एक करोड़ पचास लाख रूपये) का बजट दिया गया है यह पहली बार हुआ है, साथ ही जो हमारा पिछला बजट था वह भी हम पूरा व्यय नहीं कर पाये थे।

श्रीमती कुसुम यादव :– आदरणीय महापौर महोदया, उप–महापौर महोदय व उपस्थित सभी सभासद बन्धु, मीडियागण, अधिकारीगण आज आपने देखा हैरिटेज नगर निगम बोर्ड के प्रथम बोर्ड की प्रथम बैठक है। इसकी मीटिंग सूचना में मार्क ही नहीं किया गया कि कौन सी बोर्ड की कौन सी मीटिंग है। यह एजेण्डा किसने बनाया ? इतनी बडी गलती आप लोग करते है। नगर निगम राजधानी में आप लोग बैठें है, अधिकारियों को यह पता नहीं है कि यह कौनसा बोर्ड है, कौन सी मीटिंग है। इस पर उन्होंने नगर निगम प्रशासन के विरूद्ध नाराजगी जाहिर की। साथ ही कहा कि जो एजेण्डा है, उसे आप संभालें यह बजट मीटिंग है और इसमें 21 एजेण्डों को रखा गया है। हम 100 पार्षद है और मुझे नहीं लगता कि इन 21 एजेण्डों पर चर्चा हो पायेगी। लेकिन आज बजट पर हमारी चर्चा है। हमारी महापौर महोदया ने बहुत ही सुन्दर कर्ज में डूबा हुआ यह बजट हमें दिया है। क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम जो बता रहे है कि एक वार्ड में हम 1 करोड़ 50 लाख रूपये के कार्य करेंगे और यदि वह आयेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ कर्ज से ? हम कर्ज लेकर निगम को चलायेंगें ?

बीच में आपसी वार्तालाप नोक–झोंक शोरगुल नारेबाजी होने के साथ–साथ कर्ज, विकास आदि के विषयों पर दोनो पक्षों के सदस्यों के बीच बहस होती रही .....

माननीय महापौर महोदया द्वारा सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई।

---

10 मिनट के बाद सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गई।

महापौर महोदया :– ने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि आप सभी अपने–अपने स्थान पर बैठें। सदन की गरिमा को बनाये रखें।

इस दौरान महापौर महोदया ने सभी सदस्यों से बार–बार निवेदन किया कि आप सभी अपने–अपने स्थान पर बैठें लेकिन विपक्ष के सदस्यों द्वारा और पक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी होती रही। यह क्रम चलता रहा .....

महापौर महोदया :– ने कहा कि आप लोगों को जनता देख रही है कि आप जयपुर हैरिटेज के विकास की बात नहीं कर रहे है। आप अपनी पार्टी की बात कर रहे है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सभासद की गरिमा को बनाये रखे। दो पक्षो में आप न बंटे। अपने अपने स्थान पर बैठें।

श्री असल फारूकी, उप–महापौर :– ने कहा कि यदि आप लोगों को बजट पर चर्चा करनी है तो पहले शान्ति से अपने स्थानों पर बैठ जावें।

आपसी वार्तालाप शोरगुल होता रहा .....

महापौर महोदया ने चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 01 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। आपसी नोक–झोंक, हंगामें के मध्य सहमति रखने वाले सदस्यों को हाथ खड़े करने हेतु कहा जिस पर सदन ने बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 01 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 01 बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2020–21 एवं प्रस्तावित बजट अनुमान वर्ष 2021–22 का अनुमोदन /स्वीकृत किया जाता है।

इसके बाद महापौर महोदया द्वारा सभी को भोजन के लिये आमंत्रित किया गया। सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित की गई।

---

1 घंटे (लंच) के बाद पुनः सदन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

महापौर महोदया :– ने व्यवस्था दी कि जो सदस्य बोल चुके है उन्हें दुबारा से मौका नहीं दिया जायेगा। एक सदस्य पक्ष से बोलेंगें और एक सदस्य विपक्ष से बोलेंगें, साथ ही प्रस्ताव संख्या 02 से आगे की शुरूआत होगी। मैं फिर से आप लोगों से यह कहना चाहूंगी की पक्ष और विपक्ष में बंटकर जयपुर हैरिटेज के विकास को बाधित नहीं करें। आप लोगों को जिस जनता ने सपने देखे थे कि गुलाबी नगरी को बहुत सुन्दर देखने का, जिस वॉलसिटी हैरिटेज को हमने शामिल किया है, जयपुर के विकास को लेकर वो सभी आप लोगों को यहां से देख रही है। कहां तो हमने यह सोचा था कि हम बहुत अच्छे से सदन को चलायेंगें, एक आयाम स्थापित करेंगे कि हमने हैरिटेज जयपुर के विकास की बात की है, आपसी नोक–झोंक में उसे धूमिल ना करे। अब आगे की कार्यवाही की शुरूआत करते है। पुनः आग्रह करूंगी की एक ही माईक का संचालन होगा। एक

सदस्य पक्ष से एक सदस्य विपक्ष से बोलेंगें और जो सदस्य मर्यादा खोयेगा, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। उसे सदन से बाहर भेज दिया जायेगा।

मनीष पारीक :– ने कहा कि प्रस्ताव 1 पर चर्चा करे।

जिस पर **माननीय महापौर महोदया** ने कहा कि एक नम्बर का एजेण्डा चर्चा उपरान्त पास हो चुका है। अतः प्रस्ताव संख्या 02 से शुरूआत करते है। आगे के प्रस्ताव पर चर्चा करे। 20 एजेण्डें अभी बाकी है। अतिरिक्त आयुक्त आप प्रस्ताव संख्या 02 पढें।

अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 पढा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या 02 :–</u>

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम 2020 नगर निगम जयपुर हैरिटेज,(चारदीवारी को छोड़कर) क्षेत्र में लागू करने पर विचार एवं निर्णय बाबत।

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय महापौर महोदया द्वारा दी गई स्वीकृति उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम–2020 जयपुर नगर निगम हैरिटेज क्षेत्र (चारदीवारी क्षैत्र को छोडकर) में लागू करने हेतु जारी आदेश दिनांक 15.01.2021 बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के पत्र कमांक एफ. 59 एस.टी.वी/डीएलबी/मॉ.रा.भ.वि.–2020 (1205)/20/1678–80 दिनांक 27.11.2020 की पालना में व जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम 2020 दिनांक 07.01.2020 को जयपुर को जयपुर रीजन (चारदीवारी के अलावा) क्षेत्र हेतु अधिसूचित किए जाने के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम 2020 तुरन्त प्रभाव से नगर निगम, जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में लागू किए जाते है।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया :–

श्रीमती सुनीता मावर :– महापौर महोदया आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अभी जनहित का बजट पास किया और जो यह प्रस्ताव है, जयपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम 2020 को लागू करने का इस बारे में यदि अधिकारीगण थोड़ा अधिक प्रकाश डाल दे कि हम किस विनियम को

किस तरह से प्रस्तावित करना चाहते है तथा चारदीवारी को छोडकर जो लिखा गया है। तो देखे कि वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल अवश्य है परन्तु मुख्य बाजारों में उसका एक स्वरूप बनाकर रखें, हैरिटेज वहाँ तक सही है। गली मोहल्लों में जिनके मकान है और वह यदि जर्जर है यदि वह मकान नहीं बना सकते तो उनके लिये हम नियम पास नहीं करते तो यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। वर्तमान में भी वर्ल्ड हैरिटेज में वह शामिल है। उसके बावजूद आप अगर अन्दर का निरीक्षण करें तो हर गली मोहल्ले में निर्माण कार्य चल रहे है। नियम विपरीत चल रहा है। जो मकान जी प्लस 02 या 03 अभी बने हुए है, अगर वह उसे पुनः बनाना चाहते है या मरम्मत कराना चाहते है, तो उसके लिये हम नियम पास करें जिससे कि नगर निगम को भी आय प्राप्त होगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेंगी। जो लोग मकान बनाना चाहते है जिस तरह से उनका अधिकारियों द्वारा दमन किया जाता है, उस पर रोक लगेगी। इसमें आपसे दो ही निवेदन है कि एक तो इसमें संशोधन करके अन्दर के मकानो के लिए जो बने हुए है उसके लिये नियम अनुमोदित करने का आप प्रस्ताव रखें। दूसरा जो जयपुर विकास प्राधिकरण के भवन विनियम है उस पर अधिक प्रकाश डालें।

महापौर महोदया :– ने कहा कि सरकार द्वारा 27.11.2020 को नये भवन विनियम बनाये गये है और इसके नियम सरकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है और आयुक्त महोदय जो यह चाहते है उन्हें उपलब्ध करवा दिया जायें।

श्री मनीष पारीक :– ने कहा कि जब हमें प्रस्ताव के साथ प्रति नहीं दी गई तो चर्चा किस पर होगी। मेरा कहना यह है कि आपने बिना चर्चा के बजट पास करवा दिया। हो सकता है कि यह आपकी सफलता है या आपको हमने बड़ी बहन मानकर आपकी बात को माना।

महापौर महोदया :– ने कहा कि आप प्रस्ताव संख्या 02 पर चर्चा करे अभी भी 20 प्रस्ताव चर्चा से बचे हुये है।

आपसी वार्तालाप .....

श्री मनीष पारीक ने कहा कि यह डेमोक्रेसी है आप मेयर साहब मेरी बात समझिये, इनफिरिटी कॉम्प्लेक्स में मत रहियें आप

बीच में **महापौर महोदय** ने कहा कि आप एजेण्डे पर बोलें।

श्री मनीष पारीक ने कहा कि कहां है एजेण्डा? एजेण्डे पर क्या बोलू? पास करूँ या ना करूँ ? मैं गुडिया हूँ मोम की ?

महापौर महोदया :– ने एजेण्डा पर सहमति व असहमति हेतु सदन से पूछा एवं सहमति हेतु हाथ खडे करने को कहा।

इस पर श्री मनीष पारीक :– ने कहा कि मेयर साहब मैं .....विधायक के कहने पर काम नहीं करूंगा। इसमें एजेण्डो को चस्पा करें, आप चर्चा करें, सब विधायकों के कहने पर काम हो रहे है।

आपसी वार्तालाप नोक–झोंक हंगामा व नारे–बाजी बढ़ती चली गई.....

महापौर महोदया ने कहा कि मनीष जी को सदन से बाहर जाने का आदेश दिया एवं कहा कि जो भी सदन की मर्यादा खोयेगा या एजेण्डे के विषय के बाहर बोलेगा, उसे सदन से बाहर जाना होगा।

इस दौरान विपक्ष के सदस्य वेल में आ गये साथ ही विजीलेंस का स्टॉफ भी मनीष जी को बाहर ले जाने के लिए वेल में आ गये, इस दौरान वेल में नोक–झोंक चलती रही।

आपसी वार्तालाप होती रही .....

महापौर महोदया :– ने कहा कि एजेण्डे के विषय के बाहर जो भी मर्यादाहीन बोलेगा उसे सदन से बाहर जाना होगा। वह चाहे पक्ष का हो या चाहे विपक्ष का हो। बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया जायेगा। आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप एजेण्डे पर बोलना चाहते है ? कौन बोलेगा? मनीष जी आप दो मिनट बोल चुके है। आप किसी और को भी मौका दे। दूसरे सदस्य आगे जो बोलना चाहते है, वह बोल सकते है।

आपसी वार्तालाप .....

आयुक्त महोदय यह जो भी चाहते है, इन्हें उपलब्ध करवा दिया जावे।

आपसी वार्तालाप .....

महापौर महोदया ने चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 02 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। आपसी नोक–झोंक, हंगामें के मध्य सहमति रखने वाले सदस्यों को हाथ खड़े करने हेतु कहा जिस पर सदन ने बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 02 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 02 बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से प्रस्ताव संख्या 02 प्रस्ताव अनुसार पारित किया जाता है।

gl

प्रस्ताव संख्या 03 :–

नगर निगम, जयपुर हैरिटेज की वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर निम्नानुसार चर्चा –

I. नगर निगम, जयपुर हैरिटेज द्वारा हुड़कों से 500 करोड़ रूपयें का ऋण लिये जाने का साधारण सभा से अनुमोदन एवं स्वीकृति पर विचार।

II. नगर निगम, जयपुर हैरिटेज द्वारा तत्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए राशि रूपये 30 करोड़ का वित्तीय ऋण जिसमें राशि रूपये 20 करोड़ अल्पकालीन टर्म लोन राशि रूपये 10 करोड़ ओवर ड्राफ्ट सुविधा लिये जाने का साधारण सभा से अनुमोदन एवं स्वीकृति पर विचार।

i (प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	नगर निगम, जयपुर हैरिटेज द्वारा हुड़को से 500 करोड़ का ऋण लिए जाने का साधारण सभा से अनुमोदन एवं स्वीकृति पर विचार
2.	वित्तीय प्रभार	ऋण राशि का 500 करोड़ 13 वर्षीय त्रैमासिक किस्तों में भुगताने
	बजट प्रावधान	
3	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम/उपनियम के अन्तर्गत वांछनीय है।	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 141 व 142 के अन्तर्गत।
4	प्रकरण पर विधिक राय	अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 141 व 142 के अन्तर्गत साधारण के अनुमोदन पश्चात् उधार लिये जाने का प्रावधान है।
5	वित्त समिति का अनुमोदन	वित्त समिति का गठन नहीं हुआ है।
6	आयुक्त की राय	नगर निगम, जयपुर हैरिटेज आर्थिक स्थिति को देखते हुए एवं नवीन विकास कार्य करवाने हेतु हुड़को से 500 करोड़ का ऋण लिए जाने हेतु साधारण सभा का अनुमोदन/स्वीकृति कराया जाना प्रस्तावित है।

gl

7.	प्रस्ताव का प्रारूप	नगर निगम, जयपुर हैरिटेज की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए विकास कार्यो को कराये जाने हेतु फण्ड की कमी महसूस की गई है। इसके निराकरण हेतु हुड़कों से 500 करोड़ का ऋण लिए जाने का प्रस्ताव साधारण सभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। हुड़कों से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इस ऋण को राज्य सरकार की गारन्टी हेतु प्रेषित किया जावेगा तत्पश्चात् नगर निगम को उच्च ऋण राशि प्राप्त हो सकेंगी। उपरोक्तानुसार ऋण लिये जाने का प्रस्ताव साधारण सभा के समक्ष अवलोकनार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ii (प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए राशि रू. 30 करोड़ का वित्तीय ऋण जिसमें राशि रू. 20 करोड़ अल्पकालीन टर्म लोन राशि रू. 10 करोड़ ओवर ड्राफ्ट सुविधा लिए जाने का साधारण सभा से अनुमोदन एवं स्वीकृति पर विचार।
2.	वित्तीय प्रभार	ऋण राशि का एक वर्ष की अवधि के पश्चात् भुगताने
	बजट प्रावधान	
3	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम/उपनियम के अन्तर्गत वांछनीय है।	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 141, 142 व 143 के अन्तर्गत।
4	प्रकरण पर विधिक राय	अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 141 व 142 एवं 143 के अन्तर्गत साधारण के अनुमोदन पश्चात् उधार किए जाने का प्रावधान है।
5	वित्त समिति का अनुमोदन	वित्त समिति का गठन नहीं हुआ है।
6	आयुक्त की राय	नगर निगम, हैरिटेज जयपुर आर्थिक स्थिति को देखते हुए एवं नवीन विकास कार्य करवाने हेतु 30 करोड़ का वित्तीय ऋण जिसमें राशि रू. 20 करोड़

		अल्पकालीन टर्म लोन राशि रू. 10 करोड़ ओवर ड्राफ्ट सुविधा लिए जाने साधारण सभा से स्वीकृति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
7.	प्रस्ताव का प्रारूप	नगर निगम, जयपुर हैरिटेज में आवश्यक सेवाओं को जारी रखने हेतु तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए राशि रू. 30 करोड़ का वित्तीय ऋण जिसमें राशि रू. 20 करोड़ का अल्पकालीन टर्म लोन राशि रू. 10 करोड़ की ओवर ड्राफ्ट सुविधा लिए जाने का निर्णय लिया गया है और ड्राफ्ट सुविधा एक वर्ष के लिए रहेगी तथा उस पर ब्याज दर 8.80 प्रतिशत रहेगी एवं जितना ओवर ड्राफ्ट सुविधा उपयोग की जायेगी उसी पर दैनिक आधार पर ब्याज लगेगा। अल्पकालीन ऋण सुविधा एक वर्ष के लिए रहेगी और इस पर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत रहेगी। इसके लिए महापौर महोदया की स्वीकृति उपरान्त 30 करोड़ रूपये के ऋण हेतु आवेदन पत्र आईसीआईसीआई बैंक को प्रेषित किया जा रहा है। बैंक से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इस ऋण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावेगा तत्पश्चात् नगर निगम को उक्त ऋण राशि प्राप्त हो सकेंगी। अतः उपरोक्तानुसार ऋण लिये जाने का प्रस्ताव साधारण सभा के समक्ष अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया :–

श्री महेन्द्र ढलेत :– माननीय महापौर महोदय आप ऐसे तानाशाही नहीं करे, हमें एक संतुष्ट जवाब मिले हम यहां लड़ाई करने के लिए नहीं है। हम सभी 100 पार्षद जयपुर के विकास चाहते है। इस तरह से पास–पास करेंगे तो यह ठीक नहीं है। अभी पार्षद सुनीता मावर जी ने जो कहा है कि विनियम पर प्रकाश डालें? यही बात मनीष जी ने पूछा है।

आपसी वार्तालाप .....

श्री विमल अग्रवाल :– महापौर महोदय यदि आपको इसी तरह से सारे प्रस्ताव पास करने है जैसा कि अभी महेन्द्र ढलेत जी ने बताया कि यहां हम सभी जयपुर की चिंता करने के लिए आए है। एक अच्छे वातावरण में प्रस्तावों को पढा जावे हम विपक्ष में है, हमारा संदेह यदि कोई है तो उसको दूर करने का काम किस का होगा। यदि सुनीता जी ने यह विषय बताया और मनीष जी

ने यह कहा है कि बताया जाये कि इस बायलॉज में क्या है तो इसमें आपत्ति क्या है? हम आपको कोई अच्छा सुझाव दे सकते है जो जयपुर के विकास के लिए अच्छी बात होगी। हम विरोध करने के लिए नहीं आये है। हम वास्तव में चर्चा करने के लिए आये है। इसलिए महापौर महोदय आप अच्छे से प्रस्तावों पर विचार करावें, चाहें यह मीटिंग दो दिन चलानी पड़े हमारे जयपुर का साल भर का विषय है और यदि इसी तरह से प्रस्ताव पास करना है तो एक साथ 21 प्रस्तावों को पढ़ दे और उसे पास कर दे।

आपसी वार्तालाप .....

इसके क्या नियम है, उप–नियम है, क्या बायलॉज है, क्या लॉस है, क्या प्रोफिट है जब तक सभी को पता नहीं चलेगा तब तक यह यहां पास कैसे हो सकता है।

महापौर महोदया :– ने कहा कि आप जो चाह रहे हैं आपको उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

जिस पर **श्री विमल अग्रवाल** ने कहा कि तब तक इसे छोड़ दिया जावें।

इस पर **महापौर महोदया** ने दोहराया जो एजेण्डा चर्चा उपरान्त बहुमत से पास हो चुका है। उस पर चर्चा न कर जो प्रस्ताव चर्चा में है उस पर चर्चा करे।

महापौर महोदया ने चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 03 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। आपसी नोक–झोंक, हंगामें के मध्य सहमति रखने वाले सदस्यों को हाथ खडे करने हेतु कहा जिस पर सदन ने बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 03 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 03 बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या 3 के बिन्दु 1 व 2 की स्वीकृति दी जाती है, प्रस्ताव प्रस्ताव अनुसार पास किया जाता है एवं सरकार को इस बाबत पत्र प्रेषित किया जावे।

इस दौरान विपक्ष के सदस्य नारेबाजी एवं हंगामा करते हुये वेल में आकर बैठ गये एवं ही नारेबाजी निरन्तर करते रहें .....

प्रस्ताव संख्या 04:–

नगर निगम, जयपुर हैरिटेज के पार्षदगणों के भत्ते बढाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने पर विचार ।

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 06 फरवरी 2015 के अनुसार निर्वाचित सदस्यों को निम्नानुसार मासिक भत्तों का भुगतान करने की स्वीकृती दी गई है। टेलिफोन भत्ता–1500/– रू. प्रति माह। स्टेशनरी भत्ता–750 /– रू. प्रति माह। वाहन भत्ता–1500/– रू. प्रति माह। बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक 600 प्रति बैठक अधिकतम 1800/– रू. प्रति माह नगर निगम हैरिटेज के माननीय पार्षदगणों द्वारा भत्तें बढायें जाने हेतु निवेदन किया गया है।
2.	वित्तीय प्रभार/आय	लेखा शाखा की टिप्पणी अपेक्षित है।
3	बजट प्रावधान	नगर निगम, हैरिटेज जयपुर के स्वयं की अर्जित आय द्वारा
4	उपायुक्त कार्मिक की राय	नगर निगमों के निर्वाचित सदस्यों के भत्तों का निर्धारण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 के अन्तर्गत पार्षदों के भत्तें संशोधित किए जाने की प्रदत्त शक्तियों राज्य सरकार में निहित है। प्रस्ताव माननीय बोर्ड के अनुमोदन पश्चात् राज्य सरकार को भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया :–

श्री मोहम्मद शफीक :– ने कहा कि महापौर महोदया भत्तों का जो प्रस्ताव है उसे 20 हजार किया जावे। प्रस्ताव पास किया जावें।

महापौर महोदया :– ने कहा कि नगर निगम हैरिटेज के निर्वाचित सदस्यों के भत्तों का निर्धारण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 के अन्तर्गत पार्षदों के भत्ते संशोधित किये जाने का प्रदत्त शक्तियॉ राज्य सरकार में निहित है। प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदन पश्चात् राज्य सरकार को वर्तमान कोरोनाजनित परिस्थितियों के मध्य नजर जो राज्य सरकार को उचित लगे भत्ता उसी अनुसार बढ़ाये जाने हेतु, भिजवाया जाना है।

महापौर महोदया ने चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 04 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। सहमति रखने वाले सदस्यों को हाथ खड़े करने हेतु कहा जिस पर सदन ने बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 04 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 04 बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या 4 राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु पास किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 05:–

नगर निगम जयपुर हैरिटेज की सफाई व्यवस्था एवं अनमेंण्ड क्षेत्रों की बीटों पर सफाई/सीवर सफाई कार्य व्यवस्था पर विचार।

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	नगर निगम हैरिटेज जयपुर की सफाई व्यवस्था एवं अनमेंण्ड क्षेत्रों की बीटों पर सफाई/सीवर सफाई कार्य व्यवस्था पर विचार।
2.	वित्तीय प्रभार	
3	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम/उपनियम के अन्तर्गत वांछनीय है।	
4	प्रकरण पर विधिक राय	आवश्यक नहीं है।
5	वित्त समिति का अनुमोदन	वित्त समिति का गठन नहीं हुआ है।
6.	प्रस्ताव का प्रारूप	नगर निगम जयपुर हैरिटेज की सफाई व्यवस्था एवं अनमेंण्ड क्षेत्रों की बीटों पर सफाई/सीवर सफाई कार्य व्यवस्था हेतु नगर निगम जयपुर हैरिटेज के समस्त वार्डो में प्रत्येक वार्ड क्षेत्र में 05 अस्थाई अकुशल श्रमिकों के हिसाब से (100x5=500)उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रस्ताव चर्चा हेतु साधारण सभा की बैठक विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया :–

महापौर महोदया :– ने कहा कि नगर निगम, जयपुर हैरिटेज की सफाई व्यवस्था एवं अनमेंण्ड क्षेत्रो की बीटों पर सफाई/सीवर सफाई कार्य व्यवस्था हेतु नगर निगम जयपुर हैरिटेज के समस्त वार्डो में प्रत्येक वार्ड क्षेत्र में 05 अस्थाई अकुशल श्रमिकों के उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रस्ताव साधारण सभा के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

महापौर महोदया ने चर्चा उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 05 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन ने बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 05 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 05 बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्ताव अनुसार पास किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 06:–

आवश्यकतानुसार वार्ड वाईज नई लाईट लगाने पर विचार।

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	विद्युत शाखा, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था बनाये रखने एवं सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के तहत ही नवीन विद्युतीकरण कार्य– रोड लाईट फेज वायर कार्य, रोड लाईट रि–केबलिंग कार्य, नवीन हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य, नये पोल लगाकर लाईटें लगाने का कार्य, विकसित सार्वजनिक पार्को एवं शमशानों व कब्रिस्तानों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के कार्य कराने की आवश्यकता है। अतः उक्त कार्यो की स्वीकृति हेतु साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत कर उपरोक्तानुसार कार्यों को कराया जाना प्रस्तावित है।
2.	वित्तीय प्रभार/आय	इस प्रस्ताव से वित्तीय प्रभार 38.00 करोड़ रू. रहेगा एवं आय शून्य होगी।
3	बजट प्रावधान	बजट प्रावधान निम्न मदों के तहत 1. बिजली के बिलों का भुगतान–5 करोड़ रू. 2. बिजली सामान कय–7 करोड़ रू. 3. विद्युत कन्टीनजेंसी–8 करोड़ रू.

		4. रोड लाईट रखरखाव–8 करोड़ रू. 5. बिजली लाईनों में वृद्धि–10 करोड़ रू कुल 38.00 करोड़ रू.
4	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम/उपनियम के अन्तर्गत वांछनीय है।	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के तहत।
5	उपायुक्त विद्युत की राय	I. इसके अतिरिक्त निर्देशानुसार नगर निगम जयपुर हैरिटेज के प्रत्येक वार्ड में 30 वॉट की 50 नग लाईटों को लगाने का निर्णय लिया गया था। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड में 25 नग लाईटें आपूर्ति कर लगवायी जा रही है। शेष 25 नग प्रत्येक वार्ड में लाईटों को लगवाने का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा। II. उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सभी वार्डो में विद्युत संबंधी कार्य यथा हाईमास्ट लाईट, स्ट्रीट लाईट तथा फेज वायर इत्यादि कार्यो का विस्तृत प्लान बनाकर कार्य सम्पादित करवाये जायेगें। उक्त कार्यो के लिये हुड्को (HUDCO) से लोन लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके लिए निगम की साधारण सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया :–

महापौर महोदयाः– ने कहा कि इसके अतिरिक्त मेरे निर्देशानुसार नगर निगम जयपुर हैरिटेज के प्रत्येक वार्ड में 30 वॉट की 50 नग लाईटों को लगाने का निर्णय लिया गया था। जिसके अनुसरण में प्रत्येक वार्ड में 25 नग लाईटें आपूर्ति कर लगवायी जा रही है। शेष 25 नग लाईट प्रत्येक वार्ड में लगवाने का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जावेगा। साथ ही सभी वार्डो में विद्युत संबंधी कार्यो का विस्तृत प्लान बनाकर कार्य सम्पादित करवाये जायेगें। उक्त कार्यो के लिये हुड्को (HUDCO) से लोन लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत है। आपकी जो भी लाईट मेंन्टेनेन्स की समस्या है उसका समाधान भी 48 घण्टे में कर दिया जायेगा, यह आयुक्त महोदय सुनिश्चित करे कि लाईटों की समस्याओं का समाधान 48 घण्टे के अन्दर कर दिया जाये।

आपसी वार्तालाप .....

महापौर महोदया ने चर्चा उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 06 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन ने बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 06 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 06 बाबत बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या 6 प्रस्ताव अनुसार पास किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 7

बी.वी.जी. की कार्य व्यवस्था की समीक्षा उपरान्त व्यवस्था में सुधार हेतु दिशा–निर्देश तय करने पर विचार।

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	जयपुर शहर में घर–घर कचरा संग्रहण एवं परिवहन कार्य हेतु पैकेज प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय हेतु वर्ष 2016 में निविदा आमंत्रित की गई। मार्च 2017 में मैसर्स बी.वी.जी. इण्डिया लि. को घर–घर कचरा संग्रहण एवं परिवहन कार्य का कार्यादेश जारी किया गया था जिसके अंतर्गत पैकेज प्रथम में 471 टन प्रतिदिन, पैकेज–द्वितीय में 397 टन प्रतिदिन एवं पैकेज–तृतीय में 472 टन प्रतिदिन कचरे की मात्रा निर्धारित की गई। जो अधिकतम कुल 1340 टन प्रतिदिन थी। जिसमें निविदा की शर्तानुसार प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से अनिवार्य वृद्धि का प्रावधान है एवं 10 प्रतिशत कचरे के भार में वृद्धि की जा सकती है। राज्य सरकार के राजस्थान राजपत्र, विशेषांक आश्विन 26 शुक्रवार शार्क 1941 अक्टूम्बर 18, 2019 एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना एफ 10 (क)/(चुनाव) गठन/श्रेणी/डीएलबी/19/10478 के अनुसार नगर निगम जयपुर को दो भागों में विभाजित कर नवगठित नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं नगर निगम ग्रेटर जयपुर के नाम से दो नवीन निगमों का गठन किया गया है।
2.	वित्तीय प्रभार/आय	–
3.	बजट प्रावधान	प्रस्तावित बजट अनुमान वर्ष 2021–22
4	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम/उपनियम	

	के अन्तर्गत वांछनीय है।	
5	उपायुक्त स्वास्थ्य की राय	मैसर्स बी.वी.जी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा नगर निगम हैरिटेज के 100 वार्डो में 200 हूपरों द्वारा कचरा संग्रहण कार्य किया जा रहा है। फर्म द्वारा निम्नलिखित कार्य अनुबंध की शर्त अनुसार किए जाने है :– 1. जनसंख्या घनत्व, क्षेत्र के अनुसार हूपर, साईकिल, रिक्शा, बैटरी रिक्शा, डोर टू डोर कचरा संग्रहण हेतु लगाये जाने है फर्म द्वारा जनसंख्या घनत्व एस डब्ल्यू एम (SWM 2016) रूल्स के आधार पर नगर निगम, जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में कुल 350 हूपर्स लगाये जाने है। 2. प्रत्येक हूपर पर दो हैल्पर लगाये जाना। 3. डोर टू डोर कचरा पृथक्करण (सूखे एवं गीले कचरे को) अलग–अलग किया जाना। 4. आईईसी गतिविधियां तथा जन–जागरूकता अभियान चलाया जाना। 5. वाहनों के साथ रूट चार्ट, वार्ड का नम्बर, रूट नम्बर कम्पलेंट कॉल सेंटर का नम्बर, वार्ड सुपरवाईजर का नम्बर अंकित होना। 6. प्रत्येक हूपर में वीटीएस/जीपीएस लगा होना। 7. ओपन डिपो/ढेरियों को प्रातः 11 बजे तक उठाया जाना एवं सफाई किया जाना। 8. परकोटा क्षेत्र में स्थित 5400 गंदी गलियों की सफाई नियमित रूप से किया जाना। अनुबंध की शर्त अनुसार मैसर्स बी.वी.जी इण्डिया से कार्य कियान्विति हेतु प्रस्ताव साधारण सभा में सुधार हेतु दिशा–निर्देश तय करने हेतु प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया :–

महापौर महोदया ने वेल मे बैठे नारेबाजी कर रहे सभी पार्षदो से निवेदन किया कि अपने–अपने स्थान पर बैठें एवं प्रस्तावों पर चर्चा में भाग लें। साथ ही कहा कि आप इस तरह सदन में व्यवहार करते हो तो सदन से बाहर जाकर जनता को क्या जबाव देंगे।

श्री मनोज मुद्गल :– महापौर महोदया आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बी.वी.जी. कम्पनी के कार्य व्यवस्था के संदर्भ में 2017 में यहां बीजेपी का बोर्ड था, उस समय यह कार्य शुरू हुआ था आज 2021 में अभी कुछ क्षेत्र में बीवीजी खुद कार्य कर रही है और कुछ क्षैत्र में अपने कार्य को उसने सबलेट किया है, लेकिन जिस तरह से जयपुर क्षैत्र की चारदीवारी में सफाई का कार्य होना चाहिए, उस हिसाब से यह कम्पनी काम नहीं कर पा रही है, आपसे मै

gl

विनम्र विनती करूंगा कि बीवीजी कम्पनी को पाबंद करे, डोर टू डोर कचरा संग्रहण करे, जिससे कि हमारा जयपुर शहर स्वच्छ व सुंदर बने यही आग्रह है।

महापौर महोदया :– ने कहा कि बी.वी.जी. के कार्यों में बहुत अनियमितातायें है, उनका कार्य असंतोषजनक है, बी.वी.जी. के कार्य की मॉनीटेरिंग हेतु उपायुक्त स्वास्थ्य की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जायेगी,। साथ ही बी.वी.जी कम्पनी को चेतावनी दी जाती है यदि इसने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया तो हम नया विकल्प लेकर आयेगें।

महापौर महोदया ने चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 07 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन ने बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 07 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 07 बाबत

बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या 7 उपायुक्त (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक कमेटी, कम्पनी के कार्यो के मोनिटेरिंग करने हेतु गठित करने की शर्त के साथ प्रस्ताव अनुसार पास किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 8

नगर निगम, जयपुर हैरिटेज नगरीय विकास कर एवं राजस्व से संबंधित वर्तमान में कार्यरत कम्पनियों के कार्यो की समीक्षा एवं विचार–विमर्श बाबत।

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	नगर निगम की राजस्व (प्रथम) शाखा में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 102 के अन्तर्गत लगने वाले नगरीय विकास कर, धारा 103(vi) के अन्तर्गत लगने वाले विज्ञापन कर एवं धारा 253 के अन्तर्गत लगने वालें पार्किंग शुल्क तथा धारा–251 के अन्तर्गत डेयरी बूथ अनुज्ञा शुल्क तथा बकाया गृहकर के एरीयर वसूली तथा विवाह स्थलों के पंजीयन एवं मोबाईल टॉवरों के स्थापना की अनापत्ति प्रमाण–पत्र से उत्पन्न राजस्व के निर्धारण एवं वसूली की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में नगरीय विकास कर तथा निजी भवनों पर प्रदर्शित होने वाले विज्ञापन (नीलामी साईटों को छोडकर) के सर्वे एवं संग्रहण का कर मैसर्स एस्रो सोफ्टेक प्रा. लि. कंपनी को निविदा के माध्यम से 03.03.2020 को दिया गया था। कोविड–19 के लोकडाउन के कारण कंपनी ने अपना कार्य दिनांक 08.10.2020 से आरम्भ किया है। लीज राशि, मैरिज गार्डन पंजीयन राशि, डेयरी बूथ किराया राशि, मोबाईल टावर नवीनीकरण राशि वसूली हेतु जोन स्तर पर माह मार्च में कैम्प आयोजित करने की योजना है। पार्किंग स्थलों की ई–नीलामी तथा शेष होर्डिंग साईटों की ई–नीलामी प्रकियाधीन है।
2.	वित्तीय प्रभार	शून्य
3.	बजट प्रावधान	बकाया ग्रहकर–1400 लाख नगरीय विकास कर–6000 लाख। मोबाईल टॉवर–260 लाख विवाह स्थल पंजीयन–45 लाख। पार्किंग–135 लाख। पशु मेंला–260 लाख विज्ञापन–2400 लाख
4	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम/उपनियम के अन्तर्गत वांछनीय है।	बजट वर्ष 2021–2022 में उक्तानुसार स्वीकृति के प्रावधान रखे गये है।
5.	उपायुक्त राजस्व प्रथम की राय	बकाया ग्रहकर, नगरीय विकास कर तथा निजी भवनों पर प्रदर्श विज्ञापन शुल्क संग्रहण एवं सर्वे कार्य ऑउट सोर्स से कराने से कर योग्य सम्पत्तियों की संख्या 4 गुणा तक वृद्धि होने का अनुमान है।

		इससे कर संग्रहण में भी आगामी वर्षो में दोगुनी से भी अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। डेयरी बूथ, विवाह स्थलों पंजीयन शूल्क वसूली हेतु माह मार्च में जोन स्तर पर कैम्प आयोजित कर वसूली की जाने की योजना है। 10 से अधिक नई पार्किंग साइट्स चिन्हित कर उनकी नीलामी कार्यवाही प्राकियाधीन है। 50 से 100 नई विज्ञापन साईटें के चिन्हिकरण की कार्यवाही चल रही है। पशु हटवाडा पर कार्यवाही प्रकियाधीन है।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया :–

श्री मोहम्मद शफीक :– ने कहा कि यह कार्य जो कम्पनी को दिया गया है, इसमे मेरा एक सुझाव है कि 08.10.2019 तक हमारे नगर निगम जयपुर द्वारा 35 करोड़ 48 लाख 93 हजार की आय प्राप्त हुई थी और इस कम्पनी के द्वारा अभी वर्ष 2019–20 तक 13 करोड़ की राशि एकत्रित की गई है और यह जहां पर भी जा रहे है उसका सर्वे गलत कर रहे है, इसके अलावा मेरे पास 5 जोनों के नोटिस है। अखबारों की कटिंग है साथ ही सीईओ साहब के नोटिस भी मेरे पास है, इस काम में हमारे अधिकारी/कर्मचारी को लगाया जाये और इस कम्पनी को ब्लेक लिस्ट किया जाये। हमारे निगम में आय बढे, जयपुर का विकास हो, इसके संबंध में सभी दस्तावेज मे आपको पेश कर रहा हूँ। (इनके द्वारा दस्तावेजों को पटल पर भिजवाया गया)।

श्रीमती कुसुम यादव :– ने कहा कि स्पैरो सोफ्टेक प्रा. लि. कम्पनी का ठेका निरस्त किया जाये, यह सभी सभासदों से मेरा निवेदन है, मेयर साहब प्रस्ताव नं. 8 पर चर्चा होगी। विपक्ष के कई सदस्यों ने कहा कि इसका ठेका निरस्त किया जाये।

महापौर महोदया :– ने कहा कि वर्तमान में कच्ची बस्तियों में 100 गज या इससे छोटे भूखण्डों के कन्स्ट्रक्शन एरिया को नापते हुए टैक्स लगाया जा रहा है। उसके बाबत इस प्रस्ताव को लाया गया है। जो लोग छोटी दुकान से अपनी आजीविका चलाते है उनके लिये टैक्स चुकाना मुश्किल है। इनको टैक्स में छूट या रियायत लाना बहुत जरूरी है, इसके लिए सरकार को सदन के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाना जरूरी है कि कच्ची बस्ती में सरकार कैम्प लगाकर पट्टे देती है तो मै यह मानती हूं कि कच्ची बस्ती में रहने वाले निवासियों को टैक्स में रियायत हो। इस बाबत बोर्ड की ओर से राज्य सरकार को निवेदन किये जाने हेतु प्रस्ताव है। कंपनी के ठेके को निरस्त करने का विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है।

आपसी वार्तालाप.....

महापौर महोदया द्वारा वेल में बैठें विपक्ष के सदस्यों को कहा कि आप अपने–अपने स्थान पर जाये यह मेरा आपसे निवेदन है कि जयपुर हैरिटेज के विकास में भागीदारी बनिये, एजेण्डे पर बोले **आपसी वार्तालाप**.....

श्री मोहम्मद शफीक :– ने कहा कि मेयर साहब प्रस्ताव संख्या 8 को निरस्त करे, इसे राज्य सरकार को नहीं भेजना है, यह यू.डी.टैक्स का है।

श्री असलम फारूकी (उपमहापौर) ने कहा कि मेयर साहब में यह कहना चाहता हूं कि जो पीआईएल लगी हुई है, इस बाबत राज्य सरकार ने निगम को पाबंद नहीं किया ना ही इसमें कोई डिसीजन दिया है, राज्य सरकार में पीआईएल केवल पेण्डिग है, इस प्रस्ताव में यह करे कि इस कम्पनी के ठेके को निरस्त करे, यह प्रस्ताव भिजवाये.....

महापौर महोदया ने आयुक्त महोदय से कहा कि इसमे पीआईएल लगी है उस अनुसार आप नियामनुसार कार्यवाही करे।

आपसी वार्तालाप.....

श्री उमरदराज :– ने कहा कि मेयर साहब का प्रस्ताव संख्या 8 है यह गम्भीरता से देखने का प्रस्ताव है, जो ठेका दिया गया है यह गलत तरीके से दिया गया है अपने पास राजस्व अधिकारी है उनको हम किस काम का वेतन देते है। यदि यह प्रकरण न्यायालय में है तो डेफर करे। विधिक राय लेकर ही आगे प्रस्तावों को लाये।

श्री असलम फारूकी (उपमहापौर) :– ने कहा कि मेयर साहब आप इस नियम को देखे कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 127 में स्पष्ट उल्लेख है कि करो की जो वसूली है, वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी ही कर सकता है। आप इसका ठेका नहीं दे सकते है, साथ ही इसमें डीएलबी की जारी अधिसूचना है, दिनांक 24.08.2016 इसके बिन्दु सं. 8, 11 में स्पष्ट उल्लेख है कि नगरीय विकास कर की वसूली निगम अपने स्तर पर अपने संसाधन से ही करेगा। दूसरों को ठेका नहीं देगा, यह नियम के विरूद्ध है, कानून के भी विरूद्ध है और यह जनता के भी विरूद्ध है। बीच में **श्री उमरदराज** ने कहा कि एक विषय और है कि जब बीजेपी का यहा बोर्ड था उस समय में यह ठेका दिया गया था इसलिए इसे निरस्त किया जाये।

विपक्ष के किसी एक सदस्य ने कहा कि उस समय सर्वे का काम दिया गया था यदि यह गलत है तो पूरा सदन एक मत से यह चाहते है पक्ष/विपक्ष यह चाहते है कि स्पैरो सोफ्टेक कम्पनी का जो ठेका है इसे निरस्त किया जाये बहुत बड़ा नुकसान रेवन्यू का हो रहा है।

आपसी वार्तालाप.....

दोनो पक्षों के सदस्यों के बीच प्रस्तावों पर चर्चा करने के विषय पर आपसी वार्तालाप...होती रही।

श्रीमती आयशा सिद्दकी :– ने कहा कि मेयर प्रस्ताव सं. 7 दोबारा से चर्चा की जाये, क्योंकि बीवीजी कम्पनी जो है।

आपसी वार्तालाप....

महापौर महोदया ने कहा कि आयशा जी जो प्रस्ताव पास हो गया उस पर आप चर्चा नहीं करे।

श्रीमती आयशा सिद्दकी ने कहा कि मेयर साहब शोरगुल में प्रस्ताव पास हो गया हम रोक रहे थे बीवीजी कम्पनी के लिए हम समय–समय पर आपको भी और सीईओं साहब को भी हमने शिकायत की है, जब बीवीजी काम ही नहीं कर रही है तो क्यों उसका प्रस्ताव पास किया जा रहा है, इस पर महापौर महोदया ने कहा कि प्रस्ताव में डी.सी. हैल्थ को इसकी मोनेटरिंग करने के लिए कहा गया है यदि वो अपने कार्य में सुधार नहीं करती है तो हम दूसरा विकल्प लेकर आयेगें।

श्रीमती आयशा सिद्दकी ने कहा कि बोर्ड बने तीन माह हो गये हमारे बार–बार शिकायत करने पर भी हम कह रहे है कि सुधार होगा, कब होगा सुधार?

जिस पर **महापौर महोदया** ने कहा कि बिल्कुल। उसे चेतावनी दी गई। वह प्रस्ताव पास हो चुका है।

श्रीमती आयशा सिद्दकी :– मेयर साहब यह कम्पनी 2017 से चल रही है हम मान रहे है हमारे क्षैत्र में जो गंदी गलियां है उसको साफ करने का काम भी इस बीवीजी कम्पनी का है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इससे सारे पार्षदों व जनता को परेशानी हो रही है। इसमे मेरा आपसे निवेदन है कि इस बीवीजी कम्पनी के काम को बंद किया जाये।

श्रीमती सुनीता मावर :– महापौर महोदया प्रस्ताव सं. 8 का निर्णय क्या रहा है ?

इस पर महापौर महोदया ने कहा कि जो विषय माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा हो उस पर अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता।

श्रीमती सुनीता मावर ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताते हुये कहा कि कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन था तो वह सदन में क्यों आया ?

आपसी वार्तालाप.....

इस दौरान पक्ष के कुछ सदस्य अपने स्थान से वेल में आये इस पर महापौर महोदया ने कहा कि आप अपने–अपने स्थान पर बैठें।

विपक्ष के सदस्यों द्वारा वेल में ही नारेबाजी करते रहे कुछ समय पश्चात् विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गये।

महापौर महोदया :– ने कहा कि प्रस्ताव सं. 8 को क्यों लाया गया है इस बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूं। कच्ची बस्ती के 100 वर्गगज या उससे छोटे व्यवसायिक भूखण्ड के कन्स्ट्रक्शन एरिया को नापते हुए टैक्स वसूल किया जा रहा है। उस प्लॉट की छोटी सी दुकान से वो अपनी आजीविका चलाते है। उनके लिए यह टैक्स चुकाना बडा मुश्किल है। इस टैक्स में पूर्ण छूट या रियायत लाना बहुत जरूरी है, इसके लिए सरकार को सदन के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाना जरूरी है क्योंकि कच्ची बस्ती में सरकार कैम्प लगाकर बहुत न्यूनतम दरों पर पट्टे देती है तो मैं मानती हूं कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले वासियों का शोषण नहीं, पोषण होना चाहिए, इस लिए प्रस्ताव सं. 8 को लाया गया है।

आपसी वार्तालाप....

इसमें यह है कि 100 गज या उससे छोटे प्लॉट से टैक्स वसूल कर रही है। जब सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों में पट्टे दिए गए उसमें भी छूट दी गई थी यह सरकार को भेजने के लिए प्रस्ताव रखा गया है कि उन्हें छूट दी जाये या राहत दी जाये।

श्री असलम फारूकी (उपमहापौर) :'– जो विषय सदन में आ गया उसका निराकरण सदन के पार्षद करेगें, कोई बाहरी व्यक्ति निर्णय नहीं करेगा। इस कम्पनी से जनता परेशान है, सभी पार्षद परेशान है, मै आयुक्त महोदय से जानकारी चाहूंगा कि कोई मामला यदि कोर्ट में लम्बित है उसमें यदि कोई आदेश नहीं दिया तो आप उस विषय को कैसे लम्बित कर सकते है बोर्ड सर्वप्रिय है यहां यह फैसला होगा कि इस कम्पनी का ठेका निरस्त किया जाता है मिनट्स में आपकी यह लाईन लिखी जायेगी कि कोर्ट में लम्बित होने के कारण इसे हम निरस्त नहीं कर सकते, इसका जबाव दे दें।

आपसी वार्तालाप.....

श्री उमरदराज :– ने कहा कि इसमें कोई दो–राय नहीं है कि पहले जो दो–चार प्रस्ताव ऐसे थे जिन पर हमें चर्चा की जानी चाहिए थी किन्तु विपक्ष ने हमें उस समय चर्चा नहीं करने दी। लेकिन प्रस्ताव सं. 8 के बारे में में बार–बार आपके मुंह से यह सुन रहा हूं कि मामला कोर्ट में है, मुझे 16 साल हो गये इस सदन में आते। इससे पहले ऐसा प्रस्ताव इस सदन में नहीं देखा कि कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन हो और वो सदन में आये इसका जबाव दिया जाये कि क्यों इसे सदन में लाया गया ? कोर्ट ने निगम को पार्टी नहीं बनाया तो निगम इसमें किसी विषय के लिए बाध्य नहीं है पहले इस सदन में आप भी पार्षद थी, पिछला रिकॉर्ड आप देख ले, 100–100 करोड़ की वसूली हमारे अधिकारियों द्वारा की गई है और इस कम्पनी ने अभी तक 13 करोड़ रूपये की वसूली की है। किस आधार पर इस कम्पनी को चलाया जा रहा ?

महापौर महोदया :– ने कहा कि इसमें कोर्ट से परमिशन लेकर अगली सभा में समीक्षा कर दी जायेगी।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 08 बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण कें माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने की स्थिति में, विधिक राय ली जावें, तब तक के लिए प्रस्ताव सं. 8 डेफर किया जाता है

प्रस्ताव सं. 09

प्रत्येक वार्ड में वार्षिक 1.5 करोड़ रू. के निर्माण/सीवरेज/कैमरे/उद्यान/सफाई/कचरा डिपों हटाने एवं अन्य आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाने पर विचार।

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	प्रत्येक वार्ड में वार्षिक 1.5 करोड़ रू. के निर्माण/सीवरेज/कैमरे/उद्यान/सफाई/कचरा डिपों हटाने एवं अन्य आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाने पर विचार। • शहर में विभिन्न स्थानों पर सडक नाली निर्माण/मरम्मत, सीवरेज

		निर्माण/मरम्मत, उद्यान में सफाई/वृक्षारोपण, निर्माण/मरम्मत कार्य • हाजरीगाह निर्माण/मरम्मत कार्य। • वार्ड कार्यालय निर्माण/मरम्मत कार्य। • सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत कार्य। • पब्लिक टॉयलेट निर्माण/मरम्मत कार्य। • पेशाब घर निर्माण/मरम्मत कार्य। • फुटपाथ निर्माण/मरम्मत कार्य। • श्मशान/कब्रिस्तान का विकास कार्य • अन्य विकास कार्य। • विभिन्न स्थानों पर कैमरे लगाने का कार्य।
2.	वित्तीय प्रभार/आय	इस प्रस्ताव में प्रत्येक वार्ड में राशि रू. 1.50 करोड़ अनुसार 100 वार्डो के लिए राशि रू. 150 करोड़
3.	बजट प्रावधान	• नई सडको के निर्माण पर राशि रू. 38 करोड़, • अन्य निर्माण कार्य राशि रू. 28 करोड़, • सडक नाली मरम्मत राशि रू. 28 करोड़ रू. • श्मशान व कब्रिस्तान विकास राशि रू. 10 करोड़, • उद्यान और वृक्षारोप राशि रू. 22 करोड़, • सीवरेज राशि रू. 25 करोड़, • स्वच्छ भारत मिशन राशि रू. 15 करोड़, • सीसीटीवी कैमरे राशि रू. 20 करोड़ • कुल बजट प्रावधान राशि रू. 186 करोड़
4	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की राय	सभी वार्डो के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत विकाय कार्य करवाये जाने है, इसके लिए निगम साधारण सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया :–

महापौर महोदया :– ने कहा कि सभी वार्डो में आवश्यकतानुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत विकास कार्य करवाये जाने हेतु साधारण सभा के समक्ष है इसमें नई सड़कों के निर्माण पर राशि रू. 38 करोड़, अन्य निर्माण कार्य राशि रू. 28 करोड़, सडक नाली मरम्मत राशि रू. 28 करोड़ रू. श्मशान व कब्रिस्तान विकास राशि रू. 10 करोड़, उद्यान और वृक्षारोपण राशि रू. 22 करोड़,

सीवरेज राशि रू. 25 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन राशि रू. 15 करोड़, सीसीटीवी कैमरे राशि रू. 20 करोड़ कुल बजट प्रावधान राशि रू. 186 करोड़ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

श्री नीरज अग्रवाल :– महापौर महोदया प्रस्ताव सं. 9 इसमें 1.50 करोड़ रू. निर्माण/ सडक निर्माण/सीवरेज निर्माण/कैमरे/उद्यान/सफाई/कचरा डिपो हटाने एवं अन्य आवश्यकतानुसार कार्य करवाने का जो आपने प्रस्ताव रखा है, इसमें मेरा निवेदन यह है कि सबसे पहले इसमे कैमरे लगाने का कार्य किया जाये और सीवरेज के कार्य करवाये जाये, इसे आप प्राथमिकता देवे, साथ ही कचरा डिपो को हटाने के लिए एक निवेदन करना चाहूंगा कि कचरा रोड़ पर नहीं फैलें, इसके लिए आप समाधान कराये।

महापौर महोदया ने चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 09 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन ने बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 09 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 09 बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 09 प्रस्तावानुसार पास किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 10

पूर्व निर्मित वार्ड कार्यालयों के लिए फर्नीचर उपलब्ध करवाना तथा नवीन वार्ड कार्यालयों के भूमि आवंटन एवं निर्माण पर विचार तथा नगर निगम, जयपुर हैरिटेज के नवनिर्वाचित पार्षदों को कार्यालय उपयोग हेतु लेपटॉप उपलब्ध के प्रस्ताव के स्वीकृति बाबत।

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	नगर निगम जयपुर हैरिटेज में नवीन वार्ड कार्यालयों का निर्माण एवं पूर्व में निर्मित वार्ड कार्यालयों के मरम्मत/पुनरूद्धार कार्य संबंधित जोन द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है। आदर्श नगर जोन द्वारा पूर्व में निर्मित वार्ड कार्यालयों हेतु फर्नीचर का कार्य आदर्श नगर जोन द्वारा करवाया जावेगा। शेष तीनों जोनों में वर्तमान में स्थित वार्ड कार्यालयों में अधिशाषी अभियन्ता (मु0) द्वारा फर्नीचर उपलब्ध करवाया जावेगा। (Table Size 6'x3' with glass 1, high back chair 1, One chair-10, alamirah1-)भूमि उपलब्धतानुसार जोन स्तर पर भूमि आवंटन एवं निर्माण कार्य होगा। वर्तमान में नगर निगम जयपुर हैरिटेज में 31 वार्ड कार्यालय स्थापित

gl

		है। माननीय महापौर महोदया के निर्देश प्रदान किए गए है कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज के नवनिर्वाचित पार्षदों को कार्यालय उपयोग हेतु लेपटॉप उपलब्ध करवाये जाये। लेपटॉप उपलब्ध कराये जाने से पूर्व पार्षदगणों से अण्डर टेकिंग ली जाकर जो कि संबंधित पार्षद/चैयरमेंन द्वारा कार्यकाल पूर्ण होने पर यथास्थिति में केन्द्रीय स्टोर हैरिटेज मुख्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करेगें एवं समस्त टूट–फूट तथा क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी आपकी स्वयं (माननीय पार्षद/चैयरमेन) की होगी। माननीय महापौर महोदया के निर्देशानुसार नगर निगम जयपुर हैरिटेज के नवनिर्वाचित पार्षदों को कार्यालय कार्य के लिए 100 (अक्षरे एक सौ) लेपटॉप क्रयकिए जाने है। यदि राज्य सरकार स्तर से नवीन क्रय मद से स्वीकृति अपेक्षित है। क्रय करने की कार्यवाही उपायुक्त स्टोर द्वारा की जानी है।
2.	वित्तीय प्रभार/आय	–
3.	बजट प्रावधान	प्रस्तावित बजट अनुमान वर्ष 2021–22
4	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम/उपनियम के अन्तर्गत वांछनीय है।	
5	प्रकरण पर विधिक राय	आवश्यक नहीं।
6	वित्त समिति का अनुमोदन	वित्त समिति का गठन नहीं।
7	आयुक्त की राय	–

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया

उपमहापौर महोदय :– ने कहा कि जिन वार्डो में वार्ड कार्यालय नहीं है उन वार्डो में भी कार्यालय जहां पार्षद के घर से संचालित होते है, वहां भी फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाये।

श्री उमरदराज :– ने कहा कि जहां वार्ड कार्यालय नहीं है वहां पार्षद को वार्ड कार्यालय के लिये किराया देने हेतु निवेदन किया।

इसके उपरान्त आपसी वार्तालाप.....चलता रहा।

श्री मोहम्मद अयूब :– ने कहा कि यदि पार्षदों ने निजी कार्यालय किराये पर लिया है तो उनमें भी निगम द्वारा फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाये तथा किराया निगम द्वारा उपलब्ध करवाये।

इस पर महापौर महोदया ने उक्त बिन्दु को नोट करने हेतु निर्देश दिए।

श्री सलमान मंसूरी :– प्रत्येक वार्डो में कार्यालय के लिए अलग–अलग टेण्डर करने का सुझाव दिया एवं किराये पर वार्ड कार्यालय उपलब्ध करवाने एवं निगम स्तर पर उक्त किराये का भुगतान करने का सुझाव दिया। साथ ही जन सुनवाई हेतु जल्द से जल्द वार्ड में स्थान उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया।

श्री मोहम्मद फरीद :– ने जल्द से जल्द वार्ड कार्यालय बनवाये जाने हेतु कहा।

श्री मनोज मुदगल :– ने कहा कि लेपटॉप हमें स्थाई रूप से देना चाहिए, निगम द्वारा वापिस नहीं लेना चाहिए।

श्रीमती राबिया बहन गुडएज :– ने कहा कि हमें जल्द से जल्द वार्ड कार्यालय उपलब्ध करवाया जाये ताकि जन समस्याओं को सुना जाये।

उक्त चर्चा उपरान्त महापौर महोदया ने कहा कि जल्द ही सभी वार्डो में नवीन वार्ड कार्यालय हेतु जगह उपलब्ध करवाने हेतु सर्वे करवाया जायेगा। यदि किसी वार्ड में निगम की खाली जमीन नहीं है, उस वार्ड में जेडीए या हाऊसिंग बोर्ड की सम्पत्ति की उपलब्धता के आधार पर संबंधित विभाग से एनओसी ली जाकर या अन्य विभाग की सरकारी भूमि है तो उसकी एनओसी प्राप्त कर, उक्त प्रस्ताव पर कार्य किया जायेगा। निगम का सरकारी कार्यालय/भवन जैसे–आमेर जोन कार्यालय, या कोई समुदायिक भवन जो उपयोगरत नहीं है, का एक भाग अस्थाई तौर पर अग्रिम आदेशों तक वार्ड कार्यालय के लिए उपयोग में लाने हेतु कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी वार्ड में कोई खाली जमीन नहीं है वहां किसी अन्य निगम के स्वामित्व का भवन/कार्यालय की छत पर पर वार्ड कार्यालय स्थापित/निर्माण की कार्यवाही की जावेगी।

इस पर सदन में मौजूद पार्षदों ने सहमति दी एवं **आपसी वार्तालाप**....के उपरान्त श्रीमती राबिया सिद्दकी जी एवं श्री जाहिद खान ने वार्ड कार्यालय हेतु निगम स्तर से किराया देने हेतु विचार सदन में रखा।

श्री दशरथ सिंह :– ने कहा कि मीडिया बंधुओं के लिए एक कमरा नगर निगम, जयपुर हैरिटेज में भी बनना चाहिए, क्योंकि यह जब भी आते है खड़े ही रहते है।

श्री अफजल महबूब :– ने कहा कि लेपटॉप स्थाई तौर पर पार्षदों को दे देना चाहिए क्योंकि कई निजी सूचनाएं पांच साल के कार्यालय के दौरान एकत्रित हो जाती है जिससे निजता के जाने का खतरा है।

श्री पारस जैन :– वार्ड कार्यालय में वातानुकूलन हेतु सुझाव दिया एवं कहा कि या तो निगम स्वयं के स्तर पर वातानुकुलन (ए.सी./कूलर) की व्यवस्था करे या पार्षद स्वयं के स्तर पर करे एवं भुगतान निगम करे।

श्री दशरथ सिंह शेखावत :– ने कहा कि पांच साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त एन.ओ.सी. प्राप्त करने हेतु जब लेपटॉप निगम अधिकारियों को लौटाया जाता है तो लेपटॉप की स्थिति पर निगम अधिकारी एन.ओ.सी. देने में आनाकानी करते है जिससे काफी परेशानी होती है, अधिकारियों को निर्देशित किया जाये कि कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त जिस भी हालात में लेपटॉप कार्यालय में जमा करे, अधिकारी उन्हें जमा कर एन.ओ.सी. अविलम्ब प्रदान करे।

सभी पार्षदों ने उक्त का समर्थन दिया एवं महापौर महोदया ने नियमानुसार कार्यवाही करने एवं पार्षद हितों का ध्यान रखने का आश्वासन दिया।

महापौर महोदया ने चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 10 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन में बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 10 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 10 बाबत बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 10 प्रस्तावानुसार पास किया जाता है।

<u>प्रस्ताव सं. 11 :–</u>

सफाई कर्मचारियों का निगम स्तर पर मासिक हैल्थ चैकअप करने पर विचार।

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	सफाई कर्मचारियों का निगम स्तर पर मासिक हैल्थ चैकअप करवाने पर विचार।
2.	वित्तीय प्रभार/आय	आवश्यकतानुसार।
3.	प्रकरण पर विधिक राय	आवश्यक नहीं है।
4	प्रस्ताव का प्रारूप	सफाई कर्मचारियों का निगम स्तर पर हैल्थ चैकअप करवाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया:–

gl

सदन ने आपसी वार्तालाप.....उपरान्त सहमति जाहिर की।

श्री रश्मि गुजराती :– ने कहा कि जैसे राज्य व केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए अस्पताल होते है, वैसे ही हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए निगम स्तर पर एक अस्पताल होना चाहिए। 2018 में भर्ती नये सफाई कर्मचारियों की स्थायीकरण की प्रकिया शीघ्र होनी चाहिए। साथ ही कहा कि सफाई कर्मचारियों से उनका मूल कार्य करवाया जाना चाहिए। वर्तमान में वाल्मिकी समाज के कर्मचारी ही केवल अपना मूल कार्य कर रहे है, अन्य समाज के भर्ती सफाई कर्मचारी अपना मूल कार्य नहीं कर रहे है, जिसकी जांच होनी चाहिए तथा उनसे मूल कार्य ही करवाया जाना चाहिए।

इस पर महापौर महोदया ने निगम कमिश्नर को जांच हेतु निर्देश प्रदान किए।

श्री रोहित कुमार चांवरिया :– ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण तभी होना चाहिए जब वे अपना मूल कार्य करे। इस हेतु जांच करवायी जानी चाहिये। इसके उपरान्त ही स्थायीकरण की प्रकिया हो। जो सफाई कर्मचारी ऑफिस के कार्य में संलग्न है उन्हें ऑफिस से हटाकर वार्डो में सफाई कार्यों में लगाया जाना चाहिए।

श्री मोहम्मद फाईद कुरेशी :– ने कहा कि सफाई कर्मचारी की नियुक्ति उनके कार्यो के अनुरूप हो।

श्रीमती सुनीता मावर :– ने कहा कि सरकार ने जब गायों के लिए संवेदनशील होकर अस्पताल में सुविधा सम्पन्न आई.सी.यू. तक बनाये है तो हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए भी निगम परिसर में सुविधा सम्पन्न आधुनिक डिस्पेंसरी खोली जानी चाहिए ताकि सफाई कर्मचारी कार्य करते समय किसी दुर्घटना के शिकार हो जाये या तो जख्मी हो जाये तो उनको अविलम्ब इलाज सुविधा उपलब्ध हो।

महापौर महोदया ने चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 11 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन में बहुमत से स्वीकृति प्रदान कर एवं प्रस्ताव सं. 11 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 11 बाबत

बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 11 प्रस्तावानुसार पास किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 12

नगर निगम जयपुर हैरिटेज के क्षैत्र में दूषित जल की समस्या के समाधान हेतु भूमिगत यूटीलेटी सर्विसेज की डिजीटल मेपिंग करवाने के प्रस्ताव पर विचार।

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के क्षेत्र में दूषित जल की समस्या के समाधान हेतु भूमिगत युटिलिटी सर्विसेज की डिजिटल मेपिंग करवाने के प्रस्ताव पर विचार।
2.	वित्तीय प्रभार/आय	राशि रू. 2.00 करोड़
3.	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम/उपनियम के अन्तर्गत वांछनीय है।	आवश्यक नहीं है।
4	अधिशाषी अभियन्ता सीवर प्रोजेक्ट की राय	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के क्षेत्र में डाली हुई सीवर लाईनों के चौक होने व मेनहॉलों के भर जाने एवं आसपास क्षेत्र से गुजरने वाली पानी की लाईनों के लीकेज होने से क्षेत्र दूषित जल की समस्या के समाधान हेतु बार–बार समस्याग्रस्त होने वाले मेनहॉलों में डिजीटल सेंसर लगवाये की चर्चा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया :–

आपसी वार्तालाप :– .....

महापौर महोदया ने चर्चा उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 12 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन ने बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 12 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 12 बाबत

बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 12 प्रस्तावानुसार पास किया जाता है

प्रस्ताव सं. 13 :–

नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षैत्र में सभी बड़े खुले नालों को कवर करवाने एवं पी.पी.पी. के तहत आय स्त्रोत बढ़ाने पर चर्चा।

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	नगर निगम हैरिटेज जयपुर क्षेत्र के सभी बड़े खुले नालों को कवर करवाने एवं पी.पी.पी.के तहत आय स्त्रोत बढाने पर चर्चा की जानी है। सभी बड़े खुलें नालों की सूची निम्नांनुसार है :–

क्रं सं	नालों का नाम	लम्बाई	चौडाई
1	चांदमारी भट्ट से नाहरी का नाम कब्रिस्तान के पास तक।	400.00	10.00
2	बंधा बस्ती पुराना वार्ड कार्यालय मदरसे के पास रावण के चौराहा तक।	800.00	10.00
3.	भट्टा बस्ती थाना के सामने से विजय नगर पुलिया तक।	1200.00	5.00
4.	विजय नगर पुलिाय से हरिजन बस्ती होते हुए अमानीशाह नाला तक।	1200.00	6.00
5.	मोनाटो धर्मशाला का नाला	800.00	3.00
6.	ब्रहमपुरी वाला नाला मगा मंगोडी वाली बगीची पर शनी महाराज मंदिर से आमेर रोड रेनबों रेस्टोरेंट के पास तक।	200.00	15.00
7.	दिल्ली बाईपास पुलिया ने. 02 से गंगापोल गेट तक	1500.00	40.00
8.	नाग तलाई गंगापोल गेट के पास से दिल्ली बाईपास मानबाग तक	200.00	40.00
9.	दिल्ली बाईपास मानबाग से जयसिंहपुरा में सब्जी मंडी के पास जेउिए पुलिया तक।	1500.00	4.00
10.	कब्रिस्तान पुलिया से रघुराज पेलेस होटल शास्त्री नगर रोड तक	375.00	10.00
11	शास्त्री नगर रोड होटल रघुराज पेलेस से साईस पार्क के पीछे होते हुए द्रव्यवती तक का नाला	2700.00	8.00

		12.	सी–स्कीम कृष्णा मार्ग से भवानी सिंह रोड रिलायंस फ्रेश तक का नाला	2400.00	25.00
		13.	मामा की होटल से टुटी पुलिया तक	1000.00	5.80
		14.	टीबा ने. 0 से रोटरी सर्किल तक	225.00	3.10
		15.	जैन मंदिर से खानिया पुलिया तक	330.00	9.20
		16.	कली के भट्टे से दिल्ली रोड तक	200.00	3.30
		17	आनाज मण्डी से हुड़कों आवास योजना तक	900.00	2.70
		18.	गणेशपुरी से वन विहार पुलिया ने. 2 तक	950.00	9.80
2.	वित्तीय प्रभार/आय	Nil			
3.	बजट प्रावधान	प्रस्तावित बजट अनुमान वर्ष 2021–22			
4	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम/उपनियम के अन्तर्गत वांछनीय है।	–			
5	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की राय	नगर निगम हैरिटेज जयपुर क्षेत्र के उपरोक्त सभी बड़े नालों को कवर करवाने से पी.पी.पी. के तहत आय स्त्रोत बढेगी। इस हेतु निगम की साधारण सभा में चर्चा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।			

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया।

श्री उमरदराज :– ने कहा कि शहर के बड़े खुले नालों को बीच में सफाई हेतु जगह छोड़ते हुए कवर करने के बाद ऊपर पर छोटी दुकाने आदि बनाई जाये। जिससे निगम की आय में बढ़ोतरी हो साथ ही नालों की सफाई निरन्तर होती रहे।

महापौर महोदया ने सुझाव की तारीफ की।

श्री नीरज अग्रवाल :– ने कहा कि जवाहर नगर सेक्टर 6 में बड़े नाले का निर्माण कई सालों से टेण्डर होने के बावजूद अधूरा रह गया यदि इसे पूर्ण करवाया जाता है और कवर करवाया जाता है तो इस पर एक छोटा बाजार, उद्यान आदि विकसित किए जा सकते है, जिससे निगम आय में बढ़ोत्तरी होगी।

महापौर महोदया ने सुझाव की तारीफ की एवं इसे नोट करने के निर्देश प्रदान किए।

श्री अफजल महबूब :– ने कहा कि वार्ड ने. 19 में बंदा बस्ती से शास्त्री नगर तक नाला कवर करवाया जाये क्योंकि इससे काफी परेशानियां आती है एवं आये दिन हादसे होते रहते है।

महापौर महोदया ने सभी पार्षदों से निवेदन किया कि उक्त प्रस्ताव हैरिटेज निगम क्षैत्र के सभी बड़े नालों के लिए है, यदि एक–एक पार्षद सदन में इस पर बोलेंगे तो काफी वक्त जाया होगा सभी बड़े नालों का सर्वे करवाया जायेगा एवं इन्हे कवर करवाने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री जाहिद निर्वाणः– ने कहा कि नाहरी का नाका कब्रिस्तान के नाले को भी कवर करवाने हेतु निवेदन किया साथ ही कहा कि मुस्लिम कॉलोनियों में बड़े नालो का विकास नही हुआ है अतः विकास करवाया जाये।

श्रीमती राबिया बहन गुडऐज :– ने कहा कि सभी बड़े नालो को कवर करवाने से शहर की खूबसूरती बढेगी, पर्यावरण में सुधार होगा एवं उन पर लाईब्रेरी, पार्किंग, उद्यान आदि सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जा सकेंगी।

महापौर महोदया ने चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 13 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन में बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 13 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 13 बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 13 प्रस्तावानुसार पास किया जाता है

प्रस्ताव सं. 14:–

जलमहल की वर्तमान दयनीय स्थिति को देखते हुये इसे मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने तथा इसमें नौकायान शुरू करने पर विचार

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	जलमहल को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 2019 में नगर निगम को हस्तान्तरित किया गया है उक्त कार्य स्थल को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया जिसका रखरखाव नगर निगम द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है।
2.	वित्तीय प्रभार/आय	
3.	बजट प्रावधान	प्रस्तावित बजट अनुमान वर्ष 2021–22
4	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम के अन्तर्गत वांछनीय	–
5.	अधिशाषी अभियन्ता की राय	जलमहल को मुख्य पर्यटक स्थल रूप में विकसित एवं नौकायन शुरू करवाने के संबंध में साधारण सभा में चर्चा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया।

महापौर महोदया ने सुझाव दिया कि जलमहल के नालों को डायवर्ट किया जावे या इसमें ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट लगाया जावे या इसमें बीसलपुर के पानी से भराव हो क्योंकि यह पर्यटक स्थल पर्यटकों का केन्द्र बिन्दु है। अतः विचारार्थ प्रस्तुत है–

श्री हनुमान गुर्जर द्वारा सुझाव दिया गया कि आमेर के मावठा सरोवर में भी नौकायन शुरू करवाने पर सदन विचार करें।

श्री भूपेन्द्र कुमार मीणा ने प्रस्ताव की सराहना की एवं सुझाव दिया कि जलमहल के सामने छोटी छोटी दुकान लगा कर जीवन यापन करने वालो को यदि संभव हो तो निगम स्तर से व्यवस्थित कर छोटे बाजार का रूप दिया जावें।

महापौर महोदया ने सुझाव की सरहाना की थी तथा उक्त सुझाव नोट करने हेतु निर्देश प्रदान किये।

श्रीमान उप–महापौर महोदय ने बताया कि पहले जलमहल के क्षेत्राधिकार संबंधित स्थिति का हल किया जावें, उसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जावे।

श्री भूपेन्द्र कुमार मीणा ने सुझाव दिया कि यदि निगम स्तर पर नियम के दायरे में आता है तो एक सुव्यवस्थित चौपाटी या छोटा बाजार जलमहल के सामने विकसित किया जाये ताकि निगम आय में वृद्धि हो तथा अन्य पर्यटन लाभ मिल सके।

श्री पारस जैन ने सुझाव दिया कि नाहरगढ से जलमहल के बीच एक रोप–वे का निर्माण किया जा सकता है, इसतरह उपर रोप–वे नीचे चौपाटी और हॉट लाईट बाजार लगें तो निगम की आय में वृद्धि होगी साथ ही एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में जलमहल विकसित होगा।

श्री मनोज मुद्गल ने बताया कि जब बीसलपुर में पानी की आधिकता के वजह से जलमहल में पानी छोड़े जाने का मामला आया तब जलमहल के किसी को लीज पर देने या कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने की बात सामने आई थी। अतः कार्यवाही पूर्व, जलमहल की वर्तमान विधिक स्थिति का पता लगाना आवश्यक है।

महापौर महोदया ने चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 14 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन में बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 14 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 14 बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 14 क्षेत्रधिकार सम्बधित एवं विधिक स्थिति के प्रश्न का समाधान करते हुए, प्रस्तावानुसार पास किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 15:–

नगर निगम जयपुर हैरिटेज के स्वामित्व की सम्पत्तियों का सर्वे एवं रिकॉर्ड डिजिटलाईजेशन करने पर विचार

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के स्वामित्व की सम्पत्तियों का सर्वे एवं रिकॉर्ड डिजीटलाईजेशन करने पर विचार।
2.	वित्तीय प्रभार/आय	
3.	बजट प्रावधान	
4	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम के अन्तर्गत वांछनीय	
5.	उपायुक्त लैण्ड बैंक की राय	लैण्ड बैंक/तहसीलदार शाखा नगर निगम हैरिटेज में दो तहसीलदार दो लिपिक दो चतुर्थ श्रेणी सहायक कर्मचारी आठ अमीन/पटवारी के

		स्वीकृत पर है, जिनमें एक सेवानिवृत नायब तहसीलदार कार्यरत है। एक सेवानिवृत अमीन एवं एक सेवानिवृत तहसीलदार अपनी सेवा देने हेतु निगम में आवेदन किया है। शेष कर्मचारियों की नियुक्ति की जाना प्रस्तावित है। लैण्ड बैंक के कार्य हेतु एक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के लगाया जाना है। तत्पश्चात् निगम स्वामित्व की सम्पूर्ण भूमि का सर्वे/सिटी सर्वे करवाया जाकर लैण्ड बैंक जोन वाईज तैयार कर डिजीटलाईजेशन कर दिया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित समस्त पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया।

श्रीमती सुनीता मावर ने बताया कि संजय बाजार में वर्तमान में 24 नई दुकाने बनी हुई है, 23 पर अनाधिकृत कब्जा है एवं 01 दुकान आवंटित हुयी है। इसके अलावा 145 दुकानों के भूखण्ड खाली है। निर्माण नहीं होने से वहा पर फल व सब्जी विक्रेता, कबाड़ी, आदि वहीं पर अपना अस्थाई अतिक्रमण कर गन्दगी फैला रहे है। जौहरी बाजार/बापू बाजार जैसे हैरिटेज बाजारों से जुड़े होने के बावजूद संजय बाजार के विकास नहीं होने के कारण निगम को करोड़ों रूपये राजस्व की हानि हो रही है। परकोटे से बाहर भी निगम स्वामित्व की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो रहे है यदि उक्त प्रस्ताव अमल में लाया जाता है तो हमें राजस्व की कमी से निजात मिल सकती है।

महापौर महोदया ने निर्देश दिये कि किसी भी अवैध अतिक्रमण को हटाकर निगम स्वामित्व की जमीन को कब्जे में लेने की कार्यवाही करे तथा ऐसे प्रकरणों में जांच भी की जाये। महापौर महोदया ने साथ ही सभी पार्षदों से निवेदन किया कि वे स्वयं के क्षेत्र में स्थित निगम की जमीन का ब्यौरा जहां तक सम्भव हो निगम कार्यालय को देवें।

श्री हेमेंन्द्र खोवाल ने बताया कि वर्तमान में नजूल दरे लगभग 50 वर्ष पुरानी है। अतः इनमे वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार को लिखा जावे ताकि निगम राजस्व में वृद्धि हो सकें।

महापौर महोदया ने उक्त सुझाव को नोट करने का निर्देश दिया।

श्री उत्तम शर्मा ने बताया कि वार्ड 40 में सरकारी जमीन पर दुकाने बना अवैध अतिक्रमण हो रखा है जिसपर कार्यवाही की जावे।

श्री उमर दराज ने प्रस्ताव का समर्थन किया एवं बिना उपयोग में आ रही निगम सम्पतियों को होटल के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया ताकि निगम आय हो सकें। साथ ही बताया कि खड्डा बस्ती की तर्ज पर ठाठर में भी विकास हो तो नीलामी से अच्छा राजस्व मिल सकता है। नोटशीट पर जन प्रतिनिधि द्वारा शिकायत पर अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करने पर नाराजगी जाहिर की।

महापौर महोदया ने उक्त नोटशीट स्वयं को देने हेतु कहा एवं एजेण्डे पर चर्चा करने हेतु कहा।

श्रीमान उप–महापौर ने जवाब दिया कि उक्त नोटशीट शिकायत कर्ता के शिकायत पर चलाई जाती है।

आपसी वार्तालाप .....

महापौर महोदय द्वारा पार्षदों को एजेंण्डे पर ही चर्चा करने की हिदायत दी।

श्री दशरथ सिंह ने बताया कि निगम क्षेत्र में नदी नाला की जमीनों में कुछ गरीब निवास कर रहे है जो बस गये है उनके अतिरिक्त खाली जमीन को भू–माफियाओं से बचाने एवं राजस्व बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाये।

महापौर महोदया ने सर्वे कराये जाने एवं अनाधिकृत कब्जे से जमीन को मुक्त कराने हेतु कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

श्री मनोज मुदगल ने बताया कि वार्ड नम्बर 35 में निगम की जमीन पम्प हाउस के लिये दी गयी थी चूंकि पम्प हाउस अन्यत्र चले जाने से उक्त जगीन आज खाली हो गयी है इस पर अवैध अतिक्रमण को हटाकर निगम अपने अधिकार में ले।

श्री पारस जैन ने कहा कि पूर्व में हुई नीलामी की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रथम किस्त जमा हो गयी किन्तु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी अतः इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करे।

महापौर महोदया ने कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी समस्या को रखने का सुझाव दिया।

महापौर महोदया ने चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 15 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन में बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 15 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 15 बाबत

बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 15 प्रस्तावानुसार पास किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 16:–

निर्माण समाग्री एवं खाद्य सामग्री की जांच कराने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण के प्रस्ताव को विचार–

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निर्माण सामग्री एवं खाद्य सामग्री की जांच करवाने हेतु उच्चगुणवक्त वाली आधुनिक प्रयोगशाला के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार।

2.	वित्तीय प्रभार/आय	आवश्यकतानुसार।
3	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम के अन्तर्गत वांछनीय	
4.	वित्त समिति का अनुमोदन	वित्त समिति का गठन नहीं हुआ है।
5	प्रस्ताव का प्रारूप	बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ हेतु।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया।

श्री अफजल महबूब ने सुझाव दिया कि यदि छोटी गलियों में स्थित भोजनालयों या होटलों का निगम स्तर पर लाईसेन्स जारी किये जाये तथा निगरानी हेतु मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षको/स्वास्थ्य निरीक्षको को निर्देशित किये, जाये साथ ही लाईसेन्स के नवीनीकरण की सुविधा हो ता निगम आय में वृद्धि हो सकती है।

महापौर महोदया ने सुझाव की तारीफ की तथा चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 16 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन में बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 16 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 16 बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 16 प्रस्तावानुसार पास किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 17:–

आधुनिक पिग हाउस बनाने के लिये सरकार को भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव भिजवाने पर विचार

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण आधुनिक पिग हाउस बनाने	नगर निगम द्वारा संचालित पिगहाउस–आगरा रोड कुष्ठ रोड आश्रम के पीछे जामडोली जयपुर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। नगर निगम क्षेत्र से प्राप्त शिकायतों पर सुअरों को पकडकर पिगहाउस में अवरूद्ध करवाया जाता है। वर्तमान में पिगहाउस के

	के लिए सरकार को भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव भिजवाने पर विचार।	लिए दो कमरे कार्यालय कार्य हेतु एवं एक बड़ा हॉल सुअरों को अवरूद्ध करवाने के लिए निर्माण किया हुआ है, जो जर्जर स्थिति में है जो की कभी भी गिर सकते है। वर्ष 1994 में नगर परिषद से जयपुर नगर निगम जयपुर के गठन होने पर लगभग 80 बीघा भूमि नगर निगम जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुपुर्द किया गाय था, जिसके कागजात अभी तक प्राप्त नहीं हुए है, इस भूमि को नगर निगम रिकॉर्ड अनुसार प्राप्त कर आधुनिक पिगहाउस एवं आधुनिक पिग स्लॉटर हाउस के लिए तैयार करवया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित तथ्य महापौर महोदया के द्वारा उपरोक्तानुसार सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया।

श्री अरविन्द मोदी ने बताया की निगम ने भ्रष्टाचार के कारण सुअर पकड़ने वाली टीम के आने से पहले अवैध सुअर पालकों को सूचना मिलने के वजह से सुअर पकड़े नहीं जाते तथा वे आवारा घूमते है इसके समाधान हेतु रोटेशन प्रणाली लागू करना उचित होगा।

महापौर महोदया ने सुझाव की तारीफ की एवं उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

श्री नरेश कुमार ने बताया कि सुअर की संख्या सभी वार्डो में एक प्रकार की समस्या के रूप में है। साथ ही सुझाव दिया कि सुअर पकड़ने वाली टीम के साथ पुलिस जाब्ता भी भेजा जाये ताकि सुअर पालक कर्मचारियों के साथ मारपीट या अभद्रता न कर सकें।

श्री उत्तम शर्मा ने निगम के ठेकेदारों की हड़ताल को खत्म करने के प्रयास करने हेतु आग्रह किया।

महापौर महोदया ने आश्वस्त किया कि लोन लेने की प्रक्रिया इन्हीं सब समस्याओं के समाधान हेतु है।

महापौर महोदया ने निर्देश दिये कि उक्त प्रस्ताव के तथ्यों में उल्लेखित जेडीए की जमीन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये जाये तथा राज्य सरकार को भी रियायती दर पर जमीन आवंटन हेतु प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही करे।

श्री अब्दुल वहीद ने आवारा कुत्तों की समस्या उठाई जिस पर महापौर महोदया ने बजट में इस हेतु प्रावधान का होना बताया।

श्री जाहिद ने बताया कि उक्त मुददे पर कठोर कदम उठाये जायें।

श्रीमान उप–महापौर महोदय ने बताया कि राजस्व की दृष्टि से प्रत्येक जानवर 01 से 02 लाख में विक्रय होता है तो अवैध/आवारा जानवरों को पकडकर नीलामी करने से राजस्व आय हो सकती है।

श्री मनोज मुद्गल ने भी उक्त प्रस्ताव के संबंध में उचित कार्यवाही करने हेतु कहा।

श्रीमती सुनीता मावर बताया कि आवारा पशु/बन्दर आदि पकडने का ठेका जिस भी फर्म को दें उसका भुगतान उस वार्ड के पार्षद या स्थानीय अधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन के उपरान्त ही करें, क्योंकि पिछले कई सालों से आवारा पशु केवल कागजों में ही पकड़े जाते है। सड़कों पर इनकी संख्या ज्यों की त्यों है। अतः इस प्रक्रिया पर रोक लगे।

महापौर महोदया ने सुझावों की तारीफ की तथा चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 17 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन में बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 17 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 17 बाबत

बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 17 प्रस्तावानुसार पास किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 18:–

गौशाला के आधुनिकिकरण एवं हाईटेक करने हेतु प्रस्ताव पर नये सिरे से विचार–

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	**कार्य का संक्षिप्त विवरण** गौशाला के आधुनिकीकरण एवं हाईटेक करने हेतु प्रस्ताव पर नये सिरे से विचार	गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया को आधुनिकरण करने के लिए निम्न बिन्दुओं पर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है :– 1. गौ–पुनर्वास केन्द्र में गाय की महत्वता और पुरानी परम्परा का ज्ञान करवाये जाने के लिए गौ पुनर्वास केन्द्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। 2. बड़ा चारा गोदाम का निर्माण–बड़ा चारा गोदाम के निर्माण करवाये जाने से फसल की कटाई के समय में चारे की थोक खरीद की जाचारे का कर भण्डारण किया जावेगा, जिससे चारे की कीमत को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। 3. शेड रेनोवेशन करवाये जाने से ट्रेक्टरों द्वारा चारा ढ़ाणों (मेंन्जर) में सीधे सुबह–शाम पहुंचाया जाये जिससे श्रमिकों पर होने वाले फिजूल खर्चे में बचत होगी। 4. एनिकट निर्माण–जल संग्रहण के लिए एनिकट का निर्माण करवाये जाने से बरसात के पानी को इक्ट्ठा किया जा सकेगा। जिससे कारण जमीन में वाटर रिचार्ज भी होगा एवं गौवंश के लिए हरे चारे की फसल उगाई जा सकेंगी। 5. गौवंश के लिए हरा–चारा उगाने वाली भूमि पर तारों की फैन्सिंग करवायी जाना प्रस्तावित है। 6. गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में 400 किलोवाट के सोलर प्लांट लगवाया जाना प्रस्तावित है। जिससे लगभग 5 लाख रू. बिजली खर्चे की मासिक बचत होगी। 7. शेष रहे बाड़ों में ईंटो की फर्श बनाई जावे ताकि बारिश के समय गौवंश को कीचड़ से बचाया जा सकें। 8. एम.ओ.यू. की शर्तानुसार कारकस प्लांट लगाना था जो आज तक नहीं लगाया जाना है। कारकस प्लांट लगाया जाना

		जाना प्रस्तावित है, जिससे कि मृत गौवंश के शवों को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सकेगा।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित तथ्य महापौर महोदया के द्वारा उपरोक्तानुसार सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया।

श्री उमरदराज ने सुझाव दिया कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं ग्रेटर की गौशालाओं को अलग–अलग चिन्हित किया जाये। स्लॉटर हाउस जो कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में है किन्तु आय ग्रेटर को होती है जिस से नगर निगम जयपुर हैरिटेज को राजस्व हानि हो रही है उसे अविलम्ब नगर निगम जयपुर हैरिटेज में लिया जाये। साथ ही कहा कि मोबाईल टावर कम्पनी स्वयं अपने स्तर पर कैमरे लगाये ताकि निगम व्यय कम हो।

महापौर महोदया ने कहा कि प्रत्येक गौशाला में वॉररूम बनाये जाये जिससे गौशाला की गायों की मॉनिटरिंग हो सकें।

श्री शांति धारीवाल जी ने चौमू के पास मोरिजा गांव में 40 बीघा जमीन जेडीए के द्वारा बाउंडी वाल के साथ नगर निगम जयपुर हैरिटेज को दी है जिसकें लिये माननीय मंत्री जी शांति धारीवाल जी को कोटि–कोटि धन्यवाद दिया। साथ ही सदन को सहमति हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किया।

श्री नीरज अग्रवाल ने बताया कि अवैध गोपालकों द्वारा गाय पकडने वाली गाड़ी के पहुंचने की सूचना प्राप्त होते ही गाय को वहां से हटा दिया जाता है। गौशाला के समन्वय से एक हूपर गायों के चारा रोटी या अन्य खाद्य सामग्री लेने का कार्य करता है जिससे गायों का खाना रोड़ पर नहीं गिरता, बावजूद इसके आवारा गायें रोड़ पर गोबर कर गन्दगी फैलाती है तथा दुर्घटनाओं को भी अंजाम देती है अतः गाय पकडने वाले सिस्टम पर शिकंजा कसा जाये एवं आवारा गायों को सड़क एंव वार्डो से हटाने का एक अभियान चलाकर एक साथ गायों को पकड़कर बाहर छोड़ा जायें।

श्री मोहम्मद शफीक ने बताया कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में स्थित स्लॉटर हाउस निगम स्वामित्व में लिया जाये जिस से राजस्व हानि कम हो। कुछ दिनों पहले रेलवे स्टेशन पर कटा हुआ मांस पाया गया उसमें गौमांस के होने का भ्रम फैलाया गया। जांच उपरान्त मांस बकरे का पाया गया। उक्त स्थल पर डॉ0 हरेन्द्र सिंह जो कि आदेशों की प्रतीक्षा में थे, की उपस्थिति कैसे हुई इसकी जांच की जायें।

महापौर महोदया ने आयुक्त महोदय को निर्देश दिये की स्लॉटर हाउस को अधिग्रहित करने एवं अवैध डैयरियों पर कार्यवाही शीघ्र शुरू करें।

श्री मनोज मुद्गल आवारा गायों को एक गम्भीर समस्या के रूप में बताया।

श्री दशरथ सिंह शेंखावत ने कहा कि **"तख्त गया ताज गया, बेईमानों का राज गया"**
आज राज आपका है, हरेन्द्र सिंह जैसे डॉक्टर पर कार्यवाही करें। जिन्होने बिना ड्यूटी के मौके पर पहुंच कार्यवाही की एवं जिनके खिलाफ पार्षद महोदय ने एफ.आई.आर की है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की यहां आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहम्मद फरीद ने कहा कि ऐसे डॉक्टर/अधिकारी हिन्दू मुस्लिम एकता को भी नुकसान पहुंचाते है।

महापौर महोदया ने उक्त प्रकरण में जांच उपरान्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

महापौर महोदया ने सुझाव की तारीफ की तथा अवगत कराई गयी समस्याओं हेतु आवश्यक निर्देश दियें। तत्पश्चात् चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 18 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन में बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 18 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 18 बाबत बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 18 प्रस्तावानुसार पास किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 19:–

नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में कब्रिस्तान एवं शमशान स्थलों के आधुनिकीकरण करने पर विचार–

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	1. नगर निगम जयपुर द्वारा जयपुर शहर में स्थित विभिन्न श्मशान/कब्रिस्तान में पुनरूद्धार का कार्य करवाया जाता है, जिसमें श्मशान/कब्रिस्तान में बाउण्ड्रीवाल शेड, चबूतरा, मरम्मतीकरण, बोरिंग, फुटपाथ इत्यादि कार्य करवाये जाते है। नगर निगम जयपुर हैरिटेज के समस्त जोनों के लिए राशि 90–90 लाख रू. की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। जिसकें अन्तर्गत मांग एवं आवश्यकतानुसार श्मशान/कब्रिस्तानों कार्य करवाये जायेगें।
2	वित्तीय प्रभार	–
3	बजट प्रावधान	10 करोड़
4.	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम के अन्तर्गत वांछनीय	
5	प्रकरण पर विधिक राय	आवश्यक नहीं।
6.	वित्त समिति का अनुमोदन	वित्त समिति का गठन नहीं हआ है
7.	आयुक्त की राय	–

उक्त प्रस्ताव से संबंधित तथ्य महापौर महोदया के द्वारा उपरोक्तानुसार सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया।

श्री मोहम्मद शफीक ने प्रस्ताव की तारीफ की एवं बजट को अधिक करने का निवेदन किया उन्होने बताया कि शमशान/कब्रिस्तान में रात्रि के समय कई असमाजिक तत्व नशा इत्यादि का सेवन करते है। इस समस्या के समाधान हेतु गार्ड की व्यवस्था की जावे।

श्री दशरथ सिंह शेखावत ने कहा कि **"दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन करे न कोय, सुख में सुमिरन जो करें तो दुख काहै का होय"**। सर्वप्रथम प्रस्ताव हेतु धन्यबाद प्रेषित किया। शमशान/कब्रिस्तान की फाईलों का अविलम्ब निस्तारण एवं इस प्रोजेक्ट को एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में लेने का सुझाव सदन के समक्ष रखा। साथ ही कहा कि वहां पर मिलने वाली लकड़ी निजी ठेकेदारों के नियंत्रण में न होकर नगर निगम जयपुर हैरिटेज के नियंत्रण में हो।

महापौर महोदया ने सदन को बताया कि वर्तमान में इस कार्य हेतु शेष 07 करोड़ रूपयें भी खर्च किये जायेगें तथा आवश्यकता अनुसार भी अन्य खर्च किये जा सकते है।

श्री मनोज मुद्गल ने कहा कि चांदपोल शमशान चारदिवारी का सबसे बड़ा (34 बीघा) शमशान है जिसपर अतिक्रमण हो रखा है अतिक्रमण के चलते यह छोटा (20 बीघा) रह गया है। अतः अतिक्रमण हटाने एवं सफाई करावाने की कार्यवाही की जाये।

महापौर महोदया ने इस पर जांच एवं कार्यवाही हेतु निर्देश दिये ।

श्रीमती आयशा सिद्दिकी ने सुझाव दिया कि 05 सदस्यों की कमेटी गठित की जाये जो कि बिना भेदभाव के शहर के सभी शमशान/कब्रिस्तान का विकास का कार्य अपनी निगरानी में करवाये।

श्री नीरज अग्रवाल ने कहा कि आदर्श नगर शमशान स्थल की छतरियां धंस जाने से उसका हैरिटेज लुक धूमिल पड गया है अतः छतरियों का जीर्णोधार कराया जाये।

श्रीमती राबिया बहन गुडएज ने सुझाव दिया कि शमशान/कब्रिस्तान स्थल पर ही मृत्यु रजिस्ट्रेशन हो एवं सी.सी.टी.वी. कैमरा लगें तथा आयशा सिद्दकी जी की बात का समर्थन किया।

महापौर महोदया ने सभी बिन्दूओं को ध्यान में रखते हुये विकास करने की बात कही एवं कमिश्नर को इस हेतु आवश्यक निर्देश दिये।

श्री अफजल महबूब ने बताया कि नाहरी के नाका स्थित कब्रिस्तान की दीवार के बाहर अतिक्रमण हो रहा है जिससे रोड़ की चौड़ाई कम हो रही है। अतः इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

श्री पारस जैन ने सुझाव दिया कि सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र में स्थित शमशान/कब्रिस्तान को गोद ले लें एवं उसमें लकड़ी, जल, बिजली, सफाई इत्यादि की व्यवस्था स्वयं की निगरानी में कराना सुनिश्चित करें।

महापौर महोदया ने सुझाव की तारीफ की।

श्री फिरोज खान ने बताया कि घाटगेट कब्रिस्तान के पास बनी होटल का नाला कब्रिस्तान में ही खुलने से सफाई की समस्या उत्पन्न हो गयी है। आदर्श नगर शमशान में भी अतिक्रमण की समस्या है।

महापौर महोदया ने इस हेतु जांच एवं आवश्यक निर्देश प्रदान किये।

श्री उमर दराज ने प्रस्ताव के लिये महापौर महोदया को धन्यवाद प्रेषित किया साथ ही कहा की शमशान/कब्रिस्तान काफी पुराने ही चिन्हित है अब वर्तमान में जनसंख्या बढने से नये शमशान/कब्रिस्तान के लिये जमीन चिन्हित करने की आवश्यता है।

श्री पुष्पेन्द्र मीणा ने सुझाव दिया कि लावारिस/असहाय/निर्धन आदि का अन्तिम संस्कार निगम स्तर से कराया जाये।

श्री जाहिद निर्वात ने बताया कि शमशान/कब्रिस्तानों में कई जगह बाउंड्री वॉल नहीं बनी है उसे बनवायी जाये।

श्री भूपेन्द्र कुमार मीणा ने अंगदान महादान के संबंध में विचार रखें। इसे एक मुहिम के रूप में अपनाने का सभी पार्षदों को निवेदन किया।

आपसी वार्तालाप .....

महापौर महोदया ने सुझाव की तारीफ की तथा चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 19 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन में बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 19 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 19 बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 19 प्रस्तावानुसार पास किया जाता है।

<u>प्रस्ताव सं. 20:–</u>

देश के विभिन्न शहरों/प्रान्तों की सफाई व्यवस्था एवं कार्यशैली की जानकारी हेतु नगर निगम हैरिटेज जयपुर के पार्षदों के समूह का भ्रमण करवाने के प्रस्ताव पर विचार।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित तथ्य महापौर महोदया के द्वारा निम्नानुसार सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया।

1.	कार्य का सक्षिप्त विवरण	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के माननीय पार्षदगणो द्वारा देश के विभिन्न शहरो व प्रांतो की सफाई व्यवस्था एवं कार्यशेली की जानकारी हेतु पार्षदो के समूह का भ्रमण करवाने हेतु मांग की है।
2	वित्तीय प्रभार/आय	लेखाशाखा की टिप्पणी अपेक्षित है।
3	बजट प्रावधान	नगर निगम हैरिटेज जयपुर के स्वयं की अर्जित आय द्वारा
4	उपायुक्त कार्मिक की राय	स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप होता है जिसमें समय-समय पर रैंकिग की व्यवस्था है। बिन्दू संख्या 1 में अंकित माननीय पार्षदगणो के भ्रमण हेतु माननीय बोर्ड के अनुमोदन पश्चात प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

आपसी वार्तालाप .....

श्रीमती आयशा सिद्दीकी ने भ्रमण पर जल्द ही भिजवाने हेतु निवेदन किया।

महापौर महोदया ने सुझाव की तारीफ की तथा चर्चा एवं सुझाव उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 20 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन में बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 20 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 20 बाबत

बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 20 प्रस्तावानुसार पास किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 21:-

नगर निगम जयुपर हैरिटेज के उपलब्ध संसाधनों के अनुसार वार्ड वाईज एक निगम हूपर मय ड्राईवर एवं हैल्पर सफाई व्यवस्था हेतु उपलब्ध करवाने पर विचार।

(प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण)

1	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	नगर निगम हैरिटेज जयपुर के उपलब्ध संसाधनो के अनुसार वार्ड वाइज एक निगम हूपर मय ड्राईवर एवं हैल्पर सफाई व्यवस्था हेतु उपलब्ध करवाने पर विचार।
2	वित्तीय प्रभार	177.48 लाख

3	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम/उपनियम के अन्तर्गत वांछनीय है।	राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 88 के अन्तर्गत
4	प्रकरण पर विधिक राय	आवश्यक नहीं है।
5	वित समिति का अनुमोदन	वित्त समिति का गठन नहीं हुआ है।
6	आयुक्त की राय	वित्तीय वर्ष 2020–21 का संशोधित बजट राशि रु 72698.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 का बजट अनुमान राशि रु 78460.00 लाख का साधारण सभा से अनुमोदन/स्वीकृत कराया जाना प्रस्तावित हैं।
7	प्रस्ताव का प्रारूप	नगर निगम जयपुर हैरिटेज में वर्तमान में 42 नग निगम हूपर कार्यरत है। निगमो के विभाजन में पूर्व निगम हूपर विविध कार्यो (जैसे मिट्टी, मलबे का परिवहन, स्टोर से सामान परिवहन, रंगोली करने या विशिष्ट शिकायतो अनुसार वाहन की व्यवस्था के दृष्टि) हेतु आवंटित थे। वर्तमान जयपुर स्मार्ट सिटी से 100 नग हूपर क्रय किये गये है जिसमें से 58 नग जयपुर हैरिटेज को प्राप्त हुए है। इन 58 नग हूपर को नगर निगम हैरिटेज में सफाई व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु निगम मुख्यालय सहित चारो जोन क्षेत्र में आवंटित करने का प्रस्ताव बोर्ड के समय विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं।

उक्त प्रस्ताव से संबंधित उपरोक्त तथ्य महापौर महोदया के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके उपरान्त सदन में उपस्थित पार्षदगणों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया।

श्री मोहम्मद शफीक ने प्रस्ताव हेतु धन्यबाद प्रेषित किया एवं कहा कि इस से सफाई में सुधार होगा

श्री नीरज अग्रवाल ने सुझाव दिया कि यदि हूपर पर विज्ञापन की व्यवस्था की जाये तो हमें राजस्व की प्राप्ति हो सकती है।

श्री अफजल महबूब ने हाथ गाड़ी उपलब्ध कराने हेतु कहा।

महापौर महोदया ने बताया कि 500 हाथ गाड़ी का टेन्डर हो गया है एवं जल्द ही हमें उपलब्ध हो जायेगी।

सदन में मौजूद समस्त पार्षदों ने इस पर मेज थपथपाई

आपसी वार्तालाप .....

श्री पूष्पेन्द्र मीणा एवं श्रीमती अंजली ब्रहम्भट्ट ने बी.वी.जी की कार्यशैली पर असंतोष जताया एवं कहा की हूपर टाईम से नहीं आता, हॉर्न भी नहीं बजाते तथा इनके वार्ड में सफाई कर्मचारी बढाने हेतु निवेदन किया।

महापौर महोदया ने समानीकरण की प्रक्रिया जल्द ही करने का आश्वासन दिया।

श्रीमती आयशा सिद्दीकी ने कहा कि समानीकरण की प्रक्रिया आज दिनांक तक नहीं हुई है अतः इसे शीघ्र ही पूर्ण करे। साथ ही उन्होनें गन्दी गलियों की सफाई की योजना बनाने हेतु भी निवेदन किया।

श्रीमती सुनीता मावर ने भी बी.वी.जी की कार्यशैली पर असंतोष जताया एवं कहा कि जब सफाई का ठेका बी.वी.जी को दिया है तो निगम हूपर लगाने की क्या आवश्यकता है साथ ही कहा कि बी.वी.जी एक कमीशन एजेंट के रूप में कार्यरत है इसे हटाया जाये।

आपसी वार्तालाप .....

श्री दशरथ सिंह, श्रीमती राबिया बहन गुडएज ने प्रस्ताव की प्रशंसा की तथा प्रस्ताव के समर्थन में सहमति दी।

महापौर महोदया ने सुझावों की तारीफ की तथा चर्चा एवं सुझावों उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्ताव सं. 21 को सहमति या असहमति हेतु फिर से प्रस्तुत किया। जिस पर सदन में बहुमत से स्वीकृति प्रदान की एवं प्रस्ताव सं. 21 को पास किया।

निर्णय प्रस्ताव संख्या 21 बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 21 प्रस्तावानुसार पास किया जाता है।

–: अतिरिक्त प्रस्ताव :–

संजय बाजार से अजमेरी गेट की ओर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव।

महापौर महोदया ने सदन से प्रस्ताव रखने की सहमति मांगी जिस पर उपस्थित सभी सदस्यों ने नियमानुसार आवश्यक बहुमत से प्रस्ताव रखने की सहमति प्रदान की।

प्रस्ताव को विचारार्थ एवं निर्णयार्थ महापौर महोदया ने सदन में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों ने एक सुर में बहुमत से सहमति दी एवं प्रस्ताव को पास किया।

निर्णय अतिरिक्त प्रस्ताव बाबत
बाद विचार विमर्श बहुमत से निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त प्रस्ताव प्रस्तावानुसार पास किया जाता है।

श्री नीरज अग्रवाल एवं श्रीमती आयशा सिद्दीकी ने कहा कि सभासद भवन स्वयं के नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्यालय में ही बनाये जाये। इस पर महापौर महोदया ने राज्य सरकार को स्थान उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव भिजवाने का आश्वासन दिया।

सभी सदस्यगण राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए।
राष्ट्रगान पश्चात् सभा की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(मुनेश गुर्जर)
महापौर
एवं अध्यक्ष साधारण सभा
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

(लोक बंधु)
आयुक्त
एवं सचिव साधारण सभा
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज